

## अध्याय 3 अनुपालन लेखापरीक्षा

सरकारी विभागों एवं उनके क्षेत्रीय घटकों के लेनदेनों की लेखापरीक्षा, एवं स्वायत्तशासी निकायों की लेखापरीक्षा में संसाधनों के प्रबंधन में चूक तथा विनियमन, औचित्यता एवं मितव्ययिता के मापकों के अनुपालन में विफलता के कई दृष्टांत ध्यान में आये हैं, जिन्हें वृहद् विषयक शीर्षों के अन्तर्गत अनुवर्ती अनुच्छेदों में प्रस्तुत किया गया है।

### 3.1 नियमों एवं विनियमों की अनुपालना नहीं किया जाना

#### आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग

##### 3.1.1 आर्थिक सहायता का अनाधिकृत समायोजन

को-ऑपरेटिव बैंकों द्वारा ₹ 63.99 करोड़ की आर्थिक सहायता का सूखा प्रभावित किसानों के बकाया ऋणों के विरुद्ध समायोजन करने से रोक नहीं पाने, उनको तुरन्त सहायता वितरण के सुनिश्चयन में विभाग विफल रहा।

भारत सरकार (भास) ने आपदा सहायता निधि(आसनि) एवं राष्ट्रीय आपदा आकस्मिक निधि (राआआनि) से सहायता के लिए 2005-10 की अवधि के लिये पात्रता मानदण्ड परिवर्तित किये (जून 2007)। भास ने राज्य सरकार (रास) को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिये कि आसनि/राआआनि से व्यय केवल अनुमोदित मदों /मानकों के अनुसार किया जाये। उन मामलों में जहाँ आपदा के कारण नुकसान 50 प्रतिशत या उससे ज्यादा है, भारत सरकार से अनुमोदित (जून 2007) आसनि/राआआनि (मानकों) सहायता के मानक व सूची के मद 3(ई) तथा 4 में, लघु एवं सीमान्त किसानों तथा अन्य किसानों को कृषि निवेश पर आर्थिक सहायता का प्रावधान किया गया है। आसनि/राआआनि का उपयोग आपदा प्रभावितों को तुरन्त सहायता उपलब्ध करवाने के लिए किये गये व्यय को वहन करने के लिए किया जाना चाहिए।

राज्य सरकार (आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग (आप्रसवि) ) ने आसनि के अन्तर्गत 27 सूखा प्रभावित जिलों के जिला कलेक्टरों को, कृषि निवेश आर्थिक सहायता के लिए, ₹ 720.88 करोड़ आवंटित किये (फरवरी 2010 से मार्च 2011)। राज्य सरकार ने जिला कलेक्टरों को निधियाँ सेन्ट्रल को-ऑपरेटिव बैंक को स्थानान्तरित करने एवं उसे खरीफ 2009 के सूखा प्रभावित किसानों को, उनके द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूची के आधार पर, लाभार्थियों के बैंक खातों में जमा द्वारा वितरण किये जाने के निर्देश दिये ।

छ: जिला कलेक्टरों<sup>1</sup> (आप्रसवि) के अभिलेखों की नमूना जाँच (सितम्बर 2011 से नवम्बर 2011) तथा आगे सूचना संग्रहण में पाया गया कि राजस्थान स्टेट को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, जयपुर (बैंक) ने सभी सेन्ट्रल को-ऑपरेटिव बैंकों को, सूखा प्रभावित किसानों के खातों में आर्थिक सहायता जमा करने से पहले, किसानों के विरुद्ध पिछला बकाया ऋण, यदि कोई हो, का समायोजन करने के निर्देश दिये (फरवरी 2010)। तदनुसार, संबंधित सेन्ट्रल को-ऑपरेटिव बैंकों ने लाभार्थियों के बैंक खातों में आर्थिक सहायता जमा की तथा 6,33,706 ऋणी किसानों<sup>2</sup> के बकाया ऋणों के विरुद्ध ₹ 63.99 करोड़ (लघु एवं सीमान्त किसान: ₹ 39.17 करोड़ तथा अन्य किसान: ₹ 24.82 करोड़) का समायोजन किया। प्रभावित व्यक्तियों को तुरन्त सहायता उपलब्ध करवाने के लिए बैंक महज एक माध्यम था और राज्य सरकार की अनुमति के बिना तुरन्त सहायता के रूप में स्वीकृत की गई आर्थिक सहायता में से उसे अपने स्तर पर ऋणों का समायोजन करने का प्राधिकार नहीं था। सेन्ट्रल को-ऑपरेटिव बैंक के इस कृत्य ने लघु एवं सीमान्त किसानों को प्रतिकूल प्रभावित किया क्योंकि को-ऑपरेटिव बैंकों ने, लघु व सीमान्त किसानों से ₹ 39.17 करोड़ (56.82 प्रतिशत) की आर्थिक सहायता (₹ 69 करोड़) का समायोजन किया। आप्रसवि ने पिछले बकाया ऋणों के विरुद्ध आर्थिक सहायता का समायोजन नहीं करने के लिए बैंकों को निर्देश देने की कोई कार्यवाही नहीं की। इस प्रकार, सूखा प्रभावित किसानों को तुरन्त सहायता उपलब्ध करवाने का मूल उद्देश्य विफल हो गया।

राज्य सरकार ने तथ्य स्वीकार किया (नवम्बर 2011 एवं जून 2012) कि बैंक द्वारा बकाया राशि का समायोजन किया जाना विभागीय निर्देशों के अनुरूप नहीं था। इस प्रकार सूखा प्रभावित किसानों को ₹ 63.99 करोड़ तक की तुरन्त सहायता वितरण के सुनिश्चयन में विभाग विफल रहा।

## चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग

### 3.1.2 अनियमित व्यय

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं को सुदृढ करने के लिए प्रदत्त राशि ₹ 10.25 करोड़ का प्रशासनिक भवनों (स्वास्थ्य भवनों) के निर्माण व भूमि क्रय हेतु अनधिकृत विपथन किया गया।

भारत सरकार ने वर्ष 2005 में स्वास्थ्य तन्त्र एवं देश के ग्रामीण क्षेत्रों के निवासियों के स्वास्थ्य स्तर को सुदृढ करने के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य

1. अजमेर, बाड़मेर, जालौर, जोधपुर, सिरोही, एवं टोंक।

2. लघु एवं सीमान्त किसान: 5,02,175 एवं अन्य किसान : 1,31,531

मिशन (रागास्वामि) की शुरुआत की। रागास्वामि के क्रियान्वयन की संरचना के अनुसार राज्य सरकार को वर्षवार, कार्यक्रम कार्यान्वयन योजना (काकायो) बनाकर भारत सरकार को अनुमोदनार्थ प्रेषित करनी थी। वर्ष 2007-08 के लिए अनुमोदित काकायो में उप स्वास्थ्य केन्द्रों (उस्वाके)/ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों (प्रास्वाके)/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों (सास्वाके) एवं तालुका तथा जिलों के अस्पतालों के भौतिक बुनियादी ढाँचे के उन्नयन हेतु राशि ₹ 50 करोड़ का प्रावधान किया गया जिसमें नए उप-केन्द्रों का निर्माण शामिल था (मद-18)। अनुमोदित काकायों में स्वास्थ्य भवनों (प्रशासनिक भवनों) के निर्माण तथा भूमि लागत के भुगतान के सम्बन्ध में कोई प्रावधान नहीं था।

जिला स्वास्थ्य समिति (जिस्वास)<sup>3</sup>, झालावाड़ के अभिलेखों की नमूना जाँच (मार्च-अप्रैल 2012) तथा राजस्थान स्टेट हैल्थ सोसायटी (राएसएचएस) जयपुर से एकत्रित सूचनाओं में निम्नांकित प्रकट हुआ:

- यद्यपि, स्वास्थ्य भवनों (स्वाभ) का निर्माण अनुमोदित काकायो में सम्मिलित नहीं था तथापि मिशन निदेशक (मिनि), रागास्वामि, राजस्थान जयपुर ने रागास्वामि की निधि में से ग्यारह जिलों<sup>4</sup> में नए स्वाभ के निर्माण हेतु राशि ₹ 9.62 करोड़ की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी (फरवरी 2008) की। लेखापरीक्षा में प्रेक्षित हुआ कि राज्य सरकार ने 2008-09 के काकायो में स्वाभ के निर्माण प्रस्तावित नहीं किये थे। तथापि, राज्य सरकार ने काकायो वर्ष 2009-10 एवं 2010-11 में स्वास्थ्य के बुनियादी ढाँचे को सुदृढ़ करने हेतु इसे प्रस्तावित किया परन्तु भारत सरकार द्वारा अनुमोदित काकायो में यह मद सम्मिलित नहीं था। ₹ 8.32 करोड़ की लागत में दस स्वाभ पूर्ण (जनवरी 2009 से अगस्त 2011) कर मार्च 2009 से मार्च 2012 के मध्य सुपुर्द किए गए। एक स्वाभ (उदयपुर) का निर्माण कार्य अभी प्रगति पर है जिस पर ₹ 55.18 लाख व्यय हो चुके हैं।

इस प्रकार, भारत सरकार द्वारा उस्वाके/प्रास्वाके/सास्वाके/एवं तालुका/जिला अस्पतालों के बुनियादी ढाँचे आधार तन्त्र के लिए स्वीकृत निधियों (₹ 9.62 करोड़) का अनियमित विपथन किया गया व प्रशासनिक भवनों (स्वास्थ्य भवनों) के निर्माण पर उपयोग (₹ 8.87 करोड़) किया गया।

- आगे, झालावाड़ में स्वाभ हेतु उपयुक्त भूमि आवंटित करने हेतु मुचिस्वाअ, झालावाड़ के अनुरोध पर जिला कलेक्टर, झालावाड़ एवं आयुक्त, नगर परिषद, झालावाड़ ने चिकित्सा तथा स्वास्थ्य विभाग को रियायती दरों

3. जिला कलेक्टर तथा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (मुचिस्वाअ) जिला स्वास्थ्य समिति (जिस्वास) के क्रमशः अध्यक्ष व मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं।

4. अजमेर, अलवर, बारां, चित्तौड़गढ़, दौसा, धौलपुर, जयपुर, झालावाड़, करौली, सवाईमाधोपुर और उदयपुर

पर भूमि आवंटित करने का निर्णय लिया (सितम्बर 2008)। चूँकि राज्य सरकार के निर्देश (अक्टूबर 1996) निर्देशित करते हैं कि चिकित्सा तथा स्वास्थ्य विभाग को भूमि निःशुल्क आवंटित की जानी चाहिए, आयुक्त, नगर परिषद, झालावाड ने निदेशक, स्थानीय निकाय से निःशुल्क भूमि आवंटन की अनुशंसा की (अक्टूबर 2008)। निदेशक, स्थानीय निकाय द्वारा इस पर कोई कार्यवाही नहीं की गई। तथापि, आयुक्त, नगर परिषद, झालावाड ने स्वाभ के निर्माण के लिए ₹ 1.38 करोड़ लागत की 56,257 वर्गफुट भूमि आवंटित कर दी (फरवरी, 2009)। तदनुसार, मुचिस्वाअ, झालावाड ने रागास्वामि के फ्लैक्सी पूल से ₹ 1.38 करोड़ स्वीकृत कर नगर परिषद, झालावाड को अन्तरित कर दिये (मार्च 2009)। तत्पश्चात, जिला कलेक्टर, झालावाड ने प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा तथा स्वास्थ्य विभाग से, जिस्वास को स्वाभ के लिए भूमि क्रय करने हेतु रागास्वामि की निधि से, ₹ 1.38 करोड़ व्यय करने की अनुमति प्रदान करने का अनुरोध किया (फरवरी, मार्च एवं दिसम्बर 2010)। तथापि मिनि, रागास्वानि, जयपुर ने जिला कलेक्टर, झालावाड को सूचित किया (फरवरी 2011) कि रागास्वामि की संरचना में भूमि खरीद का कोई प्रावधान नहीं है अतः भूमि क्रय की स्वीकृति जारी नहीं की जा सकती। लेखापरीक्षा ने पाया कि भूमि क्रय के लिए रागास्वामि की निधि स्थानान्तरित करने की अनुमति न होने के बावजूद जिला कलेक्टर, झालावाड ने भूमि क्रय के लिए ₹ 1.38 करोड़ व्यय कर दिए। फलस्वरूप, तीन साल से अधिक समय व्यतीत होने पर भी, अनियमित रूप से विपथित की गई राशि, रागास्वामि निधि में जमा नहीं की गई (अगस्त 2012)।

मुचिस्वाअ, झालावाड ने तथ्य स्वीकार करते हुए अवगत कराया (मार्च 2012) कि ₹ 1.38 करोड़ की लागत से भूमि क्रय का निर्णय जिला कलेक्टर, झालावाड की अध्यक्षता में हुई जिस्वास की बैठक (फरवरी 2009) में लिया गया था। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि भूमि क्रय के लिए रागास्वामि की निधि से व्यय किया गया। आगे, इस अनधिकृत विपथन के कारण मॉडल उस्वाके एवं प्रसूति कक्ष का निर्माण नहीं हो सका।

इस प्रकार राशि ₹ 10.25 करोड़, जो रागास्वामि के तहत प्रदत्त सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए थी, का प्रशासनिक भवनों (स्वास्थ्य भवनों) के निर्माण तथा भूमि क्रय करने के लिए अनधिकृत विपथन किया गया।

प्रकरण सरकार को जुलाई 2012 में प्रतिवेदित किया गया। उत्तर प्रतीक्षित रहा (दिसम्बर 2012)।

जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग

3.1.3 संवेदकों के बिलों से रायल्टी की कम/देरी से कटौती।

अधिशाषी अभियन्ताओं द्वारा खनिज विभाग के आदेशों की अवहेलना कर पूर्ण भुगतान अनुमत्य करने व ₹ 1.53 करोड़ रायल्टी की कम/देरी से कटौती करने से संवेदकों को अदेय लाभ दिया गया। इसके अलावा, अनधिकृत खुदाई के लिए रायल्टी का 10 गुणा दण्ड वसूली के प्रावधान को लागू नहीं करने से संवेदकों को और अधिक लाभान्वित किया। रायल्टी की देरी से कटौती पर ब्याज जमा कराने के लिए जस्वाअवि के अअ उत्तरदायी थे।

सरकार के परिपत्र आदेश 08 अक्टूबर 2008<sup>5</sup> के अनुसार, संवेदक को कार्य में प्रयुक्त होने वाले खनिजों के लिए, कार्य प्रारम्भ करने से पहले, खनिज विभाग से लघु अवधि अनुमति-पत्र (एसटीपी) प्राप्त करना चाहिये। इसकी सत्यापित प्रति संबंधित कार्यकारी अभिकरण को, निर्धारित दर<sup>6</sup> से रायल्टी की कटौती करने के लिए, प्रथम चालू लेखा देयक के साथ उपलब्ध करवानी चाहिये। ऐसा नहीं करने पर, संवेदक को भुगतान अनुमत्य नहीं होगा। साथ ही कार्य में प्रयुक्त खनिजों को अनधिकृत खुदाई मानते हुए देय रायल्टी का 10 गुणा भुगतान करना होगा। कार्यकारी अभिकरण को, संवेदकों के बिलों से रायल्टी की कटौती करनी होगी और इसे 15 दिवस के अन्दर खनिज विभाग में जमा करवाना होगा जिसमें असफल होने पर भूमि राजस्व अधिनियम (भूराअ) के अनुसार कार्यकारी अभिकरण इसे ब्याज के साथ खनिज विभाग में जमा कराने का उत्तरदायी होगा।

जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग (जस्वाअवि) के पाँच खण्डों<sup>7</sup> के अभिलेखों की नमूना जाँच (जून 2010 से मई 2012) में पाया गया कि जलापूर्ति परियोजनाओं के ₹ 463.30 करोड़ लागत के 13 कार्यों को दिसम्बर 2007 से फरवरी 2011 के दौरान 13 संवेदकों को आवंटित किये गये (परिशिष्ट 3.1)। तथापि, किसी भी संवेदक ने अपेक्षित एसटीपी, प्रथम चालू लेखा देयक के साथ प्रस्तुत नहीं की। यद्यपि, छः संवेदकों ने फरवरी 2009 से जनवरी 2012 के दौरान एसटीपी प्रस्तुत की, जबकि कार्य आदेश जुलाई 2008 से फरवरी 2011 के दौरान जारी किये गये थे, सात संवेदकों ने इसे प्रस्तुत ही नहीं किया। संवेदकों द्वारा एसटीपी प्रस्तुत नहीं करने/देरी से प्रस्तुत करने के

5. आगे संशोधन फरवरी 2010 में।

6. सड़क निर्माण के लिए 1.75 प्रतिशत, भवन निर्माण के लिए एक प्रतिशत, सड़क रिनोवेशन के लिए 0.75 प्रतिशत एवं अन्य कार्यों के लिए 0.50 प्रतिशत।

7. अधिशाषी अभियन्ता, जस्वाअवि, बाड़मेर, जोधपुर द्वितीय एवं तृतीय, दूदू-द्वितीय तथा इंगरपुर।

बावजूद उन्हें जून 2012 तक ₹ 434.04 करोड़ का पूर्ण भुगतान अनुमत्य किया गया। आगे, पाँच खण्डों से संबंधित अअ ने, बाद के चालू लेखा देयकों से, संवेदकों के बिलों से कटौती की जाने वाली रॉयल्टी राशि ₹ 2.17 करोड़ (किये गये भुगतान ₹ 434.04 करोड़ का 0.5 प्रतिशत) के विरुद्ध केवल ₹ 0.65 करोड़<sup>8</sup> की कटौती कर एवं खनिज विभाग को प्रेषित कर, उक्त सीमा तक संवेदकों को अदेय वित्तीय सहायता पहुँचायी। फलतः न केवल संवेदकों को पूर्ण भुगतान जारी करना अन्यायोचित था, ₹ 1.53 करोड़<sup>9</sup> की रॉयल्टी कम/देरी से की गई कटौती ने, सम्बंधित खण्डों को 15 प्रतिशत<sup>10</sup> ब्याज के सहित जमा करवाये जाने का भी उत्तरदायी बना दिया था। जिसे किसी भी खण्ड द्वारा जमा नहीं करवाया गया।

क्योंकि संवेदकों ने एसटीपी प्रस्तुत नहीं की/देरी से प्रस्तुत की, उनके द्वारा खनिज उपयोग अनधिकृत रूप से लिया गया, अतः वे देय रॉयल्टी के 10 गुणा भुगतान के उत्तरदायी थे। इस प्रावधान को भी जस्वाअवि के खण्डों द्वारा लागू नहीं किया गया।

राज्य सरकार ने अअ, राईजेप<sup>11</sup> बाडमैर के संबंध में, तथ्यों को स्वीकार करते हुए बताया (दिसम्बर 2012) कि अमुअ, जोधपुर को, संवेदकों के प्रथम चालू लेखा देयक बिलों से रॉयल्टी की कटौती नहीं करने के लिए, दोषी अधिकारियों की जिम्मेदारी निर्धारित करने के लिए, जाँच अधिकारी नियुक्त किया गया है (मई 2012)। सरकार ने आगे बताया कि जिला खण्ड द्वितीय जोधपुर ने ₹ 17.80 लाख; बीसलपुर- दूदू परियोजना, खण्ड द्वितीय ने ₹ 51.17 लाख एवं खण्ड इंगरपुर ने ब्याज के ₹ 0.34 लाख सहित ₹ 1.12 लाख की रॉयल्टी की वसूली करली है। तथापि, सरकार ने देरी से की गई वसूलियों पर देय ब्याज की वसूली हेतु सूचित नहीं किया। अअ, जस्वाअवि, जिला खण्ड तृतीय, जोधपुर के संबंध में सरकार ने सूचित किया कि अन्तिम बिल का भुगतान, खनिज विभाग से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के बाद किया जायेगा, लेकिन रॉयल्टी की कम वसूली के कारणों को सूचित नहीं किया। वसूलियों का विस्तृत विवरण भी सूचित नहीं किया गया।

इस प्रकार, अधिशाषी अभियन्ताओं ने खनिज विभाग के आदेशों की अवहेलना कर पूर्ण भुगतान अनुमत्य करने व ₹ 1.53 करोड़ रॉयल्टी की कम/देर से कटौती करने से, संवेदकों को अदेय लाभ दिया गया। इसके अलावा, अनधिकृत खुदाई के लिए रॉयल्टी का 10 गुणा दण्ड वसूली के प्रावधान को लागू नहीं

8. संवेदकों की जमाओं से ₹. 1.12 लाख अअ, जस्वाअवि इंगरपुर द्वारा समायोजित और जून 2012 में क्रेडिट किया गया शामिल है।
9. अअ, जस्वाअवि, इंगरपुर द्वारा दो वर्ष बाद जून 2012 में जमा राशि ₹. 1.12 लाख सम्मिलित करते हुए।
10. जैसाकि भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत लागू है।
11. राजस्थान एकीकृत नारू उन्मूलन परियोजना

करने से संवेदकों को और भी लाभान्वित किया गया। रॉयल्टी की विलम्बित कटौती पर ब्याज जमा कराने के लिए जस्वाअवि के अअ भी उत्तरदायी थे।

### 3.2 औचित्यता के विरुद्ध लेखापरीक्षा एवं पर्याप्त न्यायोचितता के बिना व्यय के मामले

#### सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग

##### 3.2.1 परिहार्य व्यय

विभाग द्वारा प्रशिक्षण सुविधाओं को साझेदारी में स्थापित करने की आवश्यकता का मूल्यांकन किये बिना एक निजी संस्थान को ₹ एक करोड़ का अनुदान दिया गया तथा अनुदान द्वारा सृजित परिसम्पत्तियों को अपने कब्जे में नहीं लिये जाने से विभाग, राज्य के हित को बचाने में भी विफल रहा।

राज्य सरकार ने, राज्य में तकनीकी शिक्षा रोजगारोन्मुखी बनाने के लिए एक निजी संस्थान, बिरला वैज्ञानिक अनुसंधान संस्थान (बिवैअसं) के सहयोग से उन्नतशील जैव सूचना विज्ञान केन्द्र (उजैसूके) जयपुर की स्थापना करने के लिए ₹ एक करोड़ की एक बारगी अनुदान<sup>12</sup> की स्वीकृति जारी की (मार्च 2007)। उजैसूके को सत्र 2007-08 से दो प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित करने थे अर्थात् एमएससी पश्चात् उम्मीदवारों के लिए एक वर्ष का जैव सूचना विज्ञान में स्नातकोत्तर डिप्लोमा एवं विज्ञान की विभिन्न शाखाओं में एमएससी कर रहे उम्मीदवारों के लिए 4-6 माह के लघु अवधि प्रशिक्षण कार्यक्रम (एक वर्ष में दो बार) तथा उसे राज्य के स्वास्थ्य कामगारों/कृषि अनुसंधानकर्ताओं/ जैव तकनीकीविज्ञों के लिए भी नियमित प्रशिक्षण उपलब्ध करवाना था ताकि वे जैव सूचना विज्ञान एवं जैव प्रौद्योगिकी के कटिंग एज क्षेत्रों में गुणवत्तापरक प्रशिक्षण ले सकें तथा रोजगार प्राप्ति में इसका अतिरिक्त लाभ ले सकें। बिवैअसं के साथ एक अनुबन्ध विवरण पत्र (अविप) 27 जून 2007 को निष्पादित किया गया। अविप के अनुसार परियोजना की अवधि परियोजना स्वीकृति तिथि (मार्च 2007) से तीन वर्ष थी और प्रमुख शासन सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग (सूप्रौसंवि) की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय समिति द्वारा परियोजना के क्रियान्वयन एवं अनुदान के उचित उपयोग की आवधिक प्रगति की समीक्षा करनी थी। सूप्रौसंवि को किसी भी स्तर पर अनुदान समाप्त करने का अधिकार था यदि वह अनुदान के उचित उपयोग या समुचित प्रगति से आश्वस्त न हो। उस स्थिति में, बिवैअसं

12. उजैसूके को चलाने पर आवृत्ति व्यय बिवैअसं द्वारा वहन किया जाना था।

को सभी दस्तावेज मय तकनीकी विवरण एवं परियोजना से संबंधित खरीदे गये उपकरण, सूप्रौसंवि को सुपुर्द करने थे।

सचिव, सूप्रौसंवि के अभिलेखों की संवीक्षा (जून 2010) में प्रकट हुआ कि वित्त विभाग ने एक निजी संगठन को अनुदान उपलब्ध कराने की जरूरत की जाँच करने की आवश्यकता पर बल दिया (जनवरी-फरवरी 2007) क्योंकि राजस्थान विश्वविद्यालय एवं वनस्थली विद्यापीठ में जैव सूचना विज्ञान से संबंधित पाठ्यक्रम पहले से मौजूद थे। साथ ही विभाग ने राजस्थान में इन पाठ्यक्रमों के स्नातकों को रोजगार के अवसरों के संबंध में प्रकरण की जाँच करने के लिए भी सुझाव दिये। तथापि, विभाग ने प्रस्तावों की अनदेखी करते हुये, उजैसूके की पूंजीगत लागत हेतु बिवैअस को ₹ एक करोड़ हस्तान्तरित किये (मार्च 2007)।

बिवैअस ने 2007-08 एवं 2008-09 के दौरान हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर<sup>13</sup> प्राप्ति पर ₹ एक करोड़ के अनुदान का उपयोग किया। तथापि, बिवैअस ने सत्र 2007-08 एवं 2008-09 के दौरान, एक वर्षीय स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम में लक्षित 40 विद्यार्थियों के विरुद्ध केवल 17 विद्यार्थियों को प्रशिक्षित किया और सत्र 2009-10 से पाठ्यक्रम को इस आधार पर बन्द कर दिया कि यह अप्रसांगिक हो गया है क्योंकि कई संस्थानों द्वारा जैव सूचना विज्ञान में पूर्ण स्नातकोत्तर कार्यक्रम प्रारम्भ किये जा चुके हैं। आगे, बिवैअस ने 2007-08 से 2011-12 के पांच सत्रों के दौरान संचालित दस लघु अवधि पाठ्यक्रमों<sup>14</sup> में लक्षित 200 विद्यार्थियों के विरुद्ध केवल 65 विद्यार्थियों को ही प्रशिक्षण प्रदान किया।

राज्य सरकार ने स्वीकार किया (दिसम्बर 2011) कि केन्द्र की स्थापना करने का मुख्य उद्देश्य युवा विद्यार्थियों को प्रशिक्षण दिलाना एवं जैव सूचना विज्ञान क्षेत्र में अनुसंधान जारी रखना था लेकिन राजस्थान में कई अन्य विश्वविद्यालयों द्वारा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने के कारण, इस पाठ्यक्रम को लघु अवधि प्रशिक्षण कार्यक्रम एवं कार्यशालाओं पर केन्द्रित कर दिया गया। अतः उजैसूके की स्थापना का मूल्यांकन, निवेश के वृहद समयावधि लाभों तथा कुशल मानव शक्ति के सृजन एवं अनुसंधान में इसके उपयोग के संदर्भ में किया जाना चाहिये।

राज्य सरकार ने यह भी बताया (जुलाई 2012) कि अनुदान का मुख्य उद्देश्य जैव सूचना विज्ञान के क्षेत्र में अनुसंधान के आधारभूत संरचना का संवर्धन तथा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण कार्यक्रमों का संचालन करना था। 65 विद्यार्थियों को लघु समयावधि (चार से छः माह) के पाठ्यक्रमों का प्रशिक्षण उपलब्ध

13. यूपीएस (2); 24" एलसीडी सहित कम्प्यूटर; प्रोजेक्टर (1); सॉफ्टवेयर डिस्कवरी स्टूडियों, एकसोम हॉरीजॉन, सीएलसी कम्बाईन्ड वर्क्स बैंच एवं सीएलसी सैल; जीनोक्लस्टर जैव सूचना विज्ञान; जीनोविज एवं यूआईआर एनए चैक, बॉयो बॉक्स एवं अडोबे वैब प्रिमियम।

14. 2007-08 : 13; 2008-09 :13; 2009-10:8; 2010-11: 10 एवं 2011-12 : 21

कराने के अतिरिक्त, 500 अन्य विद्यार्थियों को भी ग्रीष्मकालीन प्रशिक्षण/कार्यशालाओं में प्रशिक्षण (तीन दिवस से छः सप्ताह) उपलब्ध करवाया गया। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि सरकारी सहायता से प्राप्त आधारभूत संरचना का उपयोग रोजगारोन्मुखी पाठ्यक्रमों हेतु किया जाना था जबकि रोजगारोन्मुखी स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रमों को पूर्णतया छोड़ दिया गया तथा प्राप्त किये गये आधारभूत संरचना का उपयोग नगण्य/महत्वहीन ग्रीष्मकालीन प्रशिक्षण एवं कार्यशालाओं के लिए किया गया।

इस प्रकार विभाग ने, आवश्यकता का मूल्यांकन किये बिना, साझेदारी में प्रशिक्षण सुविधा स्थापित करने के लिए, निजी संस्थान को ₹ एक करोड़ का अनुदान दिया तथा योजना की असंतोषजनक प्रगति के उपरान्त भी अनुदान द्वारा सृजित परिसम्पतियों को, परियोजना अवधि समाप्त हो जाने के उपरान्त भी, अपने कब्जे में नहीं लिये जाने से विभाग, राज्य के हित को बचाने में विफल रहा।

### चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग

#### 3.2.2 मशीनों का अनुपयोगी रहना

योग्य मानव शक्ति को सुनिश्चित किये बिना अल्ट्रा सोनोग्राफी मशीनों का क्रय, जिसके परिणामस्वरूप राशि ₹ 1.01 करोड़ के अलाभकारी व्यय के अतिरिक्त लाभार्थी वांछित लाभ/अल्ट्रा सोनोग्राफी सुविधाओं से वंचित रहे, तदर्थ योजना तथा समन्वित प्रयास के अभाव को इंगित करता है।

सहस्राब्दी विकास लक्ष्यों तथा भारत सरकार द्वारा प्रारम्भ (अप्रैल, 2005) राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (राग्रास्वामि) के तहत निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति, स्वास्थ्य देखभाल तक पहुँच तथा स्वास्थ्य सेवाओं के न्यायोचित वितरण के लिए मूलभूत आवश्यकताएँ थी। स्वास्थ्य सेवाएँ दहलीज तक पहुँचाना इस पहल के पीछे का सिद्धान्त एवं अभावग्रस्त इलाकों तक पहुँचाना इसका संकल्प था। राग्रास्वामि में प्रत्येक जिले में चलित चिकित्सा इकाई(चचिड़) का प्रावधान था। चचिड़ के लिए दो तरह के वाहन (क) कर्मचारियों के लिए (ख) उपकरण सहित नैदानिक कार्यों के लिए तथा उपसाधन जैसे एक्सरे, ईसीजी, यूएसजी मशीन इत्यादि खरीदने थे।

भारत सरकार ने राग्रास्वामि के तहत राज्य में 52 चचिड़<sup>15</sup> स्थापित करने के लिए ₹ 22.33 करोड़<sup>16</sup> का अनुदान स्वीकृत (सितम्बर 2006) किया। विभाग

15. 20 जनजातीय, मरुस्थलीय जिलों में दो चचिड़ प्रति जिला एवं प्रत्येक 12 जिलों में एक चचिड़।

16. पूँजीगत व्यय: ₹ 13.13 करोड़ (₹ 25.25 लाख प्रति चचिड़); आवर्ती लागत: ₹ 9.20 करोड़ (₹ 17.70 लाख प्रति चचिड़)।

ने मार्च 2009 से अप्रैल 2011<sup>17</sup> के मध्य ₹ 26.55 लाख प्रति वाहन की दर से ₹ 13.80 करोड़ की लागत से 52 नैदानिक वाहन क्रय किए। निदेशक (जन स्वास्थ्य) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, राजस्थान, जयपुर चर्चिड़ ने 52 चल श्वेत-श्याम पराध्वनि चित्रण प्रणाली (यूएसजी मशीन) (जन्म सम्बन्धी जाँच तथा वक्ष कैंसर, सर्वाइकल कैंसर आदि की जाँच में सहायता के लिए) खरीद के लिए निविदा आमंत्रित (मार्च 2008) की। मिशन निदेशक (मिनि), रागास्वामि की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय भण्डार क्रय समिति ने मै. ब्लू स्टार लिमिटेड, मुम्बई (फर्म 'क') के परक्राम्य दर ₹ 1.94 लाख प्रति यूएसजी मशीन<sup>18</sup> की स्वीकृति प्रदान की (सितम्बर 2008)। मिनि, रागास्वामि ने अनुबन्ध निष्पादित (अक्टूबर, 2008) करने के पश्चात फर्म को आपूर्ति आदेश (नवम्बर 2008) दिए। आपूर्ति आदेश में यह स्पष्ट रूप से उल्लेखित था कि यूएसजी मशीन का पंजीयन 'गर्भधारण पूर्व और प्रसूति पूर्व निदान तकनीक' (लिंग चयन प्रतिषेध) (पीसीपीएनडीटी) अधिनियम, 1994 के अन्तर्गत होना अनिवार्य है। इसके लिए, सम्बन्धित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों (मुचिस्वाअ) को फर्म द्वारा आपूर्तित की गई यूएसजी मशीनों का पंजीयन प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना आवश्यक था। मिनि, रागास्वामि ने भी सभी मुचिस्वाअ को पीसीपीएनडीटी अधिनियम, 1994 के तहत आवश्यक पंजीयन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के निर्देश (जनवरी, अप्रैल तथा अगस्त, 2009) दिए।

राजस्थान स्टेट हैल्थ सोसायटी, जयपुर के भंडार अभिलेखों की नमूना जाँच (सितम्बर 2011 से अप्रैल 2012) में निम्नांकित अनियमितताएँ प्रकट हुईं:

1. मिनि, रागास्वामि ने फरवरी-मार्च 2009 में फर्म 'क' से 52 यूएसजी मशीन प्राप्त की (लागत ₹ 1.01 करोड़) जबकि मार्च 2009 तक विभाग के पास केवल 15 चलित वाहन (नैदानिक) उपलब्ध थे।

2. सभी 52 यूएसजी मशीनें, राष्ट्रीय परीक्षण और अंशशोधन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड (एनएबीएल) से अनुमोदित प्रयाशालाओं के निरीक्षण रिपोर्ट प्राप्त किए बिना क्रय की गई, जैसा कि वांछित था, हालांकि, फर्म 'क' ने मै. नील इंजीनियर्स से रिपोर्ट प्राप्त कर इन्हें 26 मई 2009 को प्रस्तुत किया। चूँकि मै. नील इंजीनियर्स निरीक्षण रिपोर्ट जारी करने के लिए केवल 14 मई, 2009 तक ही एनएबीएल से प्राधिकृत था, अतः सभी 52 यूएसजी मशीनें जून 2009 में फर्म को लौटा दी गई तथा मै. श्री साई प्रीसिजन इन्सट्रुमेन्टेशन एण्ड रिसर्च सेन्टर, (एनएबीएल से स्वीकृत) नासिक से वांछित प्रमाण पत्र के साथ जुलाई 2009 में वापस प्राप्त की गई। अतः यूएसजी मशीनें मार्च से जुलाई 2009 तक करीब चार माह तक उपयोग में नहीं ली जा सकी।

17. मार्च 2009:15, अप्रैल: 2009: छः, सितम्बर 2009: पाँच, मार्च 2010: पाँच, अगस्त 2010: सात, मार्च 2011: तीन एवं अप्रैल 2011: 11 ।

18.  $1.87000 + 4\% \text{ वैट} = ₹ 1,94,480$

3. चचिड़ में यूएसजी मशीनों को स्थापित करने के लिए पंजीकरण प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने हेतु बार-बार जारी निर्देशों के बावजूद, केवल 15 मुचिस्वाअ द्वारा पीसीपीएनडीटी अधिनियम के तहत 16 पंजीयन प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए गए, तदनुसार उन्हें सितम्बर 2009 से जनवरी 2011 के मध्य 16 यूएसजी मशीनें<sup>19</sup> जारी कर दी गईं। नौ यूएसजी मशीनें, जुलाई 2012 में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों (सास्वाके) को जारी की गईं। शेष 27 यूएसजी मशीनें, जुलाई 2009 से भण्डार में पड़ी रही (नवम्बर 2012)।

4. सितम्बर 2009 से जनवरी 2011 के मध्य जारी 16 यूएसजी मशीनों में से केवल चार यूएसजी मशीनें<sup>20</sup> ही उपयोग में ली जा रही थी तथा 12 मशीनें सोनोलोजिस्ट के पदस्थापन के अभाव में काम में नहीं ली जा रही थी। मिनि, राग्रास्वामि ने चचिड़ से सोनोग्राफी सेवाओं का प्रावधान हटाने का निर्णय (जून 2011) लिया ताकि इन्हें निदेशक, जन स्वास्थ्य (जस्वा) से प्रस्ताव मांग कर सास्वाके/जिला अस्पतालों को स्थानान्तरित किया जा सके। एक वर्ष पश्चात, निदेशक (जस्वा), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, ने इन 52 यूएसजी मशीनों को सास्वाके (50) तथा सामान्य अस्पताल (2) को आवंटित कर दिया (जून 2012)। अतिरिक्त निदेशक, अस्पताल प्रशासन ने सभी मुचिस्वाअ को निर्देश (जुलाई, 2012) जारी किए कि इन यूएसजी मशीनों का पंजीकरण पीसीपीएनडीटी अधिनियम, 1994 के तहत सुनिश्चित कर ही, निदेशक, (आरसीएच), जयपुर के भण्डार से यूएसजी मशीन प्राप्त करें।

वित्तीय सलाहकार, राग्रास्वामि ने बताया (मार्च 2012) कि योग्य सोनोलोजिस्टों की अनुपलब्धता के कारण यूएसजी मशीन चचिड़ में संचालित नहीं की जा सकी तथा यूएसजी मशीनों को चचिड़ से हटाने का निर्णय लिया गया। परियोजना निदेशक, राग्रास्वामि ने सूचित किया (नवम्बर 2012) कि मशीनों के आवंटन, उपयोग तथा सोनोलोजिस्टों के पदस्थापन की स्थिति उपलब्ध नहीं है जो दर्शाता है कि विभाग ने न तो मशीनों के पंजीकरण और न ही सोनोलोजिस्टों की नियुक्ति के लिए कोई गम्भीर प्रयास किए।

अतः योग्य मानवशक्ति को सुनिश्चित किये बिना अल्ट्रा सोनोग्राफी मशीनों का क्रय, तदर्थ योजना तथा समन्वित प्रयास के अभाव को दर्शाता है। उसके परिणामस्वरूप राशि ₹ 1.01 करोड़ का अलाभकारी व्यय रहा जिससे लाभार्थी वांछित लाभ/अल्ट्रा सोनोग्राफी सुविधाओं (जन्म सम्बन्धी जाँच तथा वक्ष कैंसर, सर्वाइकिल कैंसर आदि की जाँच) से वंचित रहें।

प्रकरण सरकार को जुलाई 2012 में प्रतिवेदित किया गया, उनका उत्तर प्रतीक्षित रहा (दिसम्बर, 2012)।

19. मुचिस्वाअ. बीकानेर को दो मशीनें जारी की गयीं।

20. बीकानेर : दो, झालावाड : एक एवं टोंक : एक

### 3.3 सतत् एवं व्यापक अनियमितताएँ

#### वित्त विभाग

#### 3.3.1 पेंशन का सतत् अधिक भुगतान

कोषाधिकारियों द्वारा निर्धारित जाँच करने में असफल रहने के कारण पेंशन/पारिवारिक पेंशन राशि ₹ 93.59 लाख का अधिक/अनियमित भुगतान हुआ।

राजस्थान सिविल सेवाएँ (पेंशन) नियम 1996 के परिशिष्ट-VI का नियम 9 अनुबन्धित करता है कि कोषाधिकारी, बैंकों द्वारा किए गए भुगतानों की शुद्धता जाँच उसके द्वारा संधारित अभिलेखों से करेगा और इसके बाद अपनी लेखाओं में व्यवहार सम्मिलित करेगा।

पेंशन/परिवार पेंशन के अधिक भुगतान के प्रकरणों का उल्लेख पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों (सिविल)<sup>21</sup> में किया गया था। जन लेखा समिति (2010-11) ने इसे गम्भीरता से लेते हुए सिफारिश की (फरवरी 2011) कि विभाग को, अधिक/अनियमित भुगतानों को रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाने चाहिए एवं जन लेखा समिति और प्रधान महालेखाकार विभाग को सूचित करना चाहिए। विभाग ने कोषाधिकारियों को पेंशन का सही भुगतान सुनिश्चित करने हेतु बैंकों के निरीक्षण करने के निर्देश जारी किए (जून 2011 और जनवरी 2012)।

113 बैंकों एवं 253 कोषालयों/उपकोषालयों द्वारा किए गए पेंशन भुगतानों के अभिलेखों की नमूना जाँच (अप्रैल 2011 से मार्च 2012) में प्रकट हुआ कि 278 पेंशनरों को सितम्बर 1997 से फरवरी 2012 के दौरान, राशि ₹ 93.59 लाख की अधिवार्षिकी/पारिवारिक पेंशन का अधिक/अनियमित भुगतान किया

21. वर्ष 1999-2000 का अनुच्छेद 3.7, वर्ष 2002-03 का अनुच्छेद 4.4.1, वर्ष 2003-04 का अनुच्छेद 4.2.5, वर्ष 2004-05 का अनुच्छेद संख्या 4.4.1, वर्ष 2005-06 का अनुच्छेद 4.1.3, वर्ष 2006-07 का अनुच्छेद 4.5.7, वर्ष 2007-08 का अनुच्छेद 4.4.3 वर्ष 2008-09 का अनुच्छेद 3.3.2, वर्ष 2009-10 का अनुच्छेद 3.4.1 एवं वर्ष 2010-11 का अनुच्छेद 3.3.1

गया जिसमें से राशि ₹ 8.38 लाख की वसूली निम्नानुसार कर कर ली गई थी:

(₹ लाख में)

क्र. सं.	विवरण	किया गया अधिक भुगतान		लेखापरीक्षा के आधार पर की गई वसूली	
		प्रकरणों की संख्या	राशि	प्रकरणों की संख्या	राशि
1.	निर्धारित अवधि की समाप्ति के पश्चात पारिवारिक पेंशन का कम नहीं किया जाना (राज. सिविल सेवाएं (पेंशन) नियम 1996 का नियम-62)	158	57.18	20	5.76
2.	आश्रितों द्वारा 25 वर्ष की आयु प्राप्त करने/ विवाह करने/नियोजन के पश्चात भी पारिवारिक पेंशन बन्द नहीं करना (नियम-67)	01	0.53	-	-
3.	पेंशन लघुकरण (स्थानान्तरण) के पश्चात भी पेंशन को कम नहीं किया जाना (नियम-28)	38	6.65	03	0.75
4.	पेंशनरों की मृत्यु के पश्चात पेंशन का भुगतान	04	1.79	01	0.38
5.	पेंशनरों को उनके पुनर्नियोजन की अवधि के दौरान मंहगाई राहत का भुगतान करना (नियम-164)	04	2.92	01	1.49
6.	मंहगाई वेतन का गलत भुगतान करना	20	7.50	-	-
7.	पेंशन एवं मंहगाई राहत का अनुमत्य से अधिक दर पर भुगतान करना	13	3.94	-	-
8.	उपादान भुगतानों से बकाया की वसूली नहीं करना (नियम-92)	37	8.03	-	-
9.	विविध	03	5.05	-	-
	योग	278	93.59	25	8.38

अनियमितताएँ निरन्तर जारी थी क्योंकि वित्त विभाग, कोषाधिकारियों द्वारा पेंशन चैक रजिस्टर, जो कि बैंकों द्वारा किये गये भुगतानों की समवर्ती जांच एवं पेंशन के अधिक भुगतान को रोकने में सहायक हो सकता था, का संधारण करवाने में असफल रहा।

राज्य सरकार ने अवगत कराया (अगस्त 2012) कि जुलाई 2012 तक राशि ₹ 39.49 लाख की वसूली कर ली गई है।

### 3.4 शासन की विफलता/दृष्टिचूक

#### पर्यावरण विभाग

##### 3.4.1 निधियों का विपथन/निरर्थक कार्य

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल ने 2005-12 (2010-11 को छोड़कर) के दौरान प्रदूषण नियंत्रण गतिविधियों पर, जल उपकरण का केवल 25 प्रतिशत (₹ 7.31 करोड़) ही व्यय किया। इसके अतिरिक्त, मानवशक्ति एवं अप्रयोजित निधियों के उपलब्ध होने के बावजूद क्षेत्रीय प्रयोगशालाओं की स्थापना की प्रगति धीमी रही।

राज्य सरकार ने विभिन्न पर्यावरण अधिनियमों के क्रियान्वयन के माध्यम से राज्य में प्रदूषण नियंत्रण एवं रोकथाम के लिए 'राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल (राराप्रनिम)' का गठन किया (फरवरी 1975)। जल उपकरण (प्रदूषण नियंत्रण एवं रोकथाम) अधिनियम, 1977 की धारा 8 के अनुसार, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण मण्डल (केप्रनिम) एवं राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल (राप्रनिम) के संसाधनों के संवर्धन हेतु स्थानीय निकायों, औद्योगिक ईकाईयों इत्यादि से, उनके द्वारा पानी के उपभोग के आधार पर, जल उपकरण उदग्रहण कर, राप्रनिम द्वारा इस प्रकार संग्रहित उपकरण को भारत सरकार (भास) की संचित निधि में जमा कराया जाना था। भास द्वारा, वन एवं पर्यावरण मन्त्रालय के दिसम्बर 1998 के आदेशानुसार, इस प्रकार जमा किये गये जल उपकरण का राप्रनिम को 80 प्रतिशत तक पुनर्भरण इस शर्त के साथ किया जाना था कि राप्रनिम के स्थापना एवं कार्यालय संचालन पर व्यय, इस प्रकार पुनर्भरित जल उपकरण राशि के 25 प्रतिशत (दिसम्बर 2010 से संशोधित 50 प्रतिशत) से अधिक नहीं होना चाहिए। इस प्रकार पुनर्भरित जल उपकरण राशि का, 2009-10 तक कम से कम 75 प्रतिशत तक और इसके बाद 50 प्रतिशत तक, प्रदूषण नियन्त्रण एवं रोकथाम गतिविधियों एवं कार्यक्रमों पर व्यय किया जाना था।

सदस्य सचिव, राराप्रनिम, जयपुर के अभिलेखों की नमूना जाँच (मई 2012) एवं इसके बाद संग्रहित सूचनाओं से निम्नलिखित उदग्रहित हुआ:

- भास द्वारा राराप्रनिम को 2005-06 से 2011-12 (2010-11 को छोड़कर जब प्रदूषण नियन्त्रण गतिविधियों पर व्यय 50 प्रतिशत था) के दौरान पुनर्भरित ₹ 45.17 करोड़ (परिशिष्ट 3.2) जल उपकरण में से प्रदूषण नियंत्रण एवं रोकथाम गतिविधियों तथा कार्यक्रमों पर ₹ 29.74 करोड़ व्यय किया जाना था। राराप्रनिम के बजट दस्तावेजों के विश्लेषण में प्रकट हुआ कि यद्यपि

राराप्रनिम ने, 2005-10 तथा 2011-12 के बजट में, ₹ 54.01 करोड़<sup>22</sup> का प्रावधान किया था, उसने प्रदूषण नियंत्रण गतिविधियों पर केवल ₹ 7.31 करोड़ ही व्यय किया। जबकि विज्ञापन तथा प्रकाशन के अन्तर्गत 80 प्रतिशत, अनुसंधान एवं विकास तथा प्रयोगशाला व्यय के अन्तर्गत वास्तविक व्यय क्रमशः 10.6 प्रतिशत और सात प्रतिशत रहा। यद्यपि लेखापरीक्षा में पाया गया कि भास से 2005-10 तथा 2011-12 के लिए प्राप्त उपकर की सम्पूर्ण राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र (उप्र), राराप्रनिम द्वारा, केप्रनिम को यह उल्लेखित करते हुए प्रस्तुत किया कि निधियाँ उन्हीं योजनाओं पर उपयोजित की गयी जिसके लिए स्वीकृत (कार्यालय व्यय तथा स्थापना) की गई। जबकि, अगस्त 2012 को, राराप्रनिम की सभी गतिविधियों से प्राप्त अधिशेष निधियाँ ₹ 216.78 करोड़<sup>23</sup>, प्रदूषण नियन्त्रण एवं रोकथाम गतिविधियों की तैयारियों से समझौता करते हुए, बिना उपयोग राराप्रनिम की मियादी जमाओं और व्यक्तिगत जमा खातों में पड़ी रही।

राज्य सरकार ने सदस्य सचिव, राराप्रनिम के जवाब को पृष्ठांकित करते हुए बताया (सितम्बर एवं अक्टूबर 2012) कि कार्यालय खर्च तथा स्थापना पर व्यय हमेशा जल उपकर प्राप्ति के 25 प्रतिशत की सीमा से अधिक रहता था इसलिए भास ने, मण्डल के मई 2006 एवं 2007 के निवेदन पर इसे दिसम्बर 2010 से 50 प्रतिशत तक बढ़ा दिया। तदनुसार, 2005-12 के दौरान ₹ 25.66 करोड़ (कुल जल उपकर प्राप्ति ₹ 51.32 करोड़ का 50 प्रतिशत) के विरुद्ध ₹ 22.82 करोड़ का व्यय (₹ 6.03 करोड़ परियोजना व्यय तथा ₹ 16.79 करोड़ पूंजीगत व्यय) किया गया। जवाब स्वीकार्य नहीं था क्योंकि स्थापना तथा कार्यालय व्यय की 50 प्रतिशत सीमा 2010-11 से आगे के लिए लागू थी न कि उससे पूर्व की अवधि पर। वास्तव में, मण्डल ने 2005-06 से 2011-12 (2010-11 के ₹ 5.54 करोड़ छोड़कर) के दौरान ₹ 11.25 करोड़ ही पूंजीगत व्यय (भूमि व भवन, फर्नीचर एवं फिक्चर्स, कम्प्यूटर एवं अन्य) किया जो सीधे प्रदूषण नियंत्रण से जुड़ी गतिविधियों से सम्बन्धित नहीं था। मण्डल द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचनाओं के अनुसार यह व्यय भी उपकर के अन्तर्गत चिन्हित गतिविधियों (स्थापना एवं कार्यालय व्यय, नियंत्रण एवं रोकथाम गतिविधियों एवं कार्यक्रमों) के अनुसार वर्गीकृत नहीं किया गया।

• दिसम्बर 2009 में, राज्य सरकार ने राराप्रनिम की पुनर्संरचना और सुदृढीकरण हेतु, वायु तथा जल नमूनों के विश्लेषण के लिए आठ<sup>24</sup> नई क्षेत्रीय प्रयोगशालाओं (क्षेप्र) की स्थापना की स्वीकृति दी। इन क्षेप्र के प्रबंधन के

22. अनुसंधान एवं विकास : ₹ 46.65 करोड़; प्रयोगशाला व्यय : ₹ 4.84 करोड़ तथा विज्ञापन और प्रकाशन : ₹ 2.52 करोड़।

23. कुल अधिशेष प्राप्ति ₹ 216.78 करोड़ का उपकर, सम्मति फीस तथा ब्याज के रूप में मदवार विवरण उपलब्ध नहीं था।

24. बालोतरा (बाडमेर), भरतपुर, भीलवाड़ा, बीकानेर, चित्तौड़गढ़, किशनगढ़, (अजमेर), पाली तथा सीकर।

लिए 49 पद (तकनीकी स्टॉफ: 41 एवं कनिष्ठ लिपिक सह डाटा एन्ट्री लिपिक : 8) भी स्वीकृत किये। इसके विरुद्ध, मार्च 2010 से जुलाई 2010 के बीच आठ वरिष्ठ वैज्ञानिकों और 27 कनिष्ठ वैज्ञानिकों की पदस्थापना की गयी तथा मार्च 2010 से जून 2012 की अवधि में उनके वेतन एवं भत्तों पर ₹ 1.46 करोड़ खर्च किये गये। राराप्रनिम के अभिलेखों की नमूना जाँच में पाया गया कि नई क्षेत्र, अगस्त 2012 तक स्थापित नहीं की गई थी। लेखापरीक्षा में यह भी पाया गया कि मण्डल ने क्षेत्र के निर्माण के लिए राजस्थान आवासन मण्डल (राआम), राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनिवेश निगम (रीको), नगर सुधार न्यास और नगरपालिकाओं द्वारा भूमि आवंटन के लिए समय सीमा निर्धारित नहीं की। पाँच क्षेत्र<sup>25</sup> के लिए राआम/रीको/नगरपालिका/नगर सुधार न्यास द्वारा भूमि का आवंटन अगस्त 2010 से अगस्त 2011 के दौरान किया गया। सदस्य सचिव, राराप्रनिम द्वारा कैमिकल, ग्लासवैयर एवं सामान्य मर्चों के लिए, मार्च 2011 में आमंत्रित की गई निविदाएँ, केवल ग्लासवैयर के लिए जनवरी 2012 में (दस माह बाद) निर्णीत की गई। क्रय प्रक्रिया दो वर्षों से अधिक समय में पूर्ण नहीं की गयी एवं जून 2012 तक कोई कार्य आदेश जारी नहीं किया गया। इस प्रकार, आधारभूत संरचना की स्थापना एवं स्टॉफ की नियुक्ति जैसी अन्य गतिविधियों को समक्रमिक नहीं किया गया। प्रयोगशाला भवनों एवं उपकरणों की उपलब्धता के बिना स्टॉफ की पदस्थापना दोषपूर्ण आयोजना को इंगित करती है जिसके परिणामस्वरूप मार्च 2010 से जून 2012 के दौरान मानवशक्ति एवं उनके वेतन भत्तों पर व्यय (₹ 1.46 करोड़) निरर्थक रहा।

राज्य सरकार ने सदस्य सचिव, राराप्रनिम के जवाब को पृष्ठांकित कर बताया (सितम्बर एवं अक्टूबर 2012) कि तकनीकी स्टॉफ की सेवाओं का उपयोग संबंधित क्षेत्र पर जाँच नमूना संग्रहण एवं उद्योगों के निरीक्षण में लिया जा रहा था। जवाब इस दृष्टि से स्वीकार्य नहीं था कि नई प्रयोगशालाओं पर पदस्थापित तकनीकी स्टॉफ की सेवाओं का उपयोग ऐसे जाँच नमूनों के संग्रहण के लिये लिया गया जिनको जाँच के लिए पुरानी प्रयोगशालाओं में भेजा जा रहा था, जो नई प्रयोगशाला में स्टॉफ पदस्थापना का उद्देश्य नहीं था क्योंकि नई क्षेत्र पर नमूनों की जाँच स्वयं उनके द्वारा करना अपेक्षित था। इसके अतिरिक्त, दो वर्षों से अधिक समय उपरान्त भी नई क्षेत्र के भवनों को पूर्ण नहीं किया गया तथा आवश्यक सामग्री एवं उपकरणों से सुसज्जित नहीं किया गया।

इस प्रकार, तथ्य यह रहे कि विस्तृत कार्य आयोजना की अनुपस्थिति में, राराप्रनिम ने 2005-12 (2010-11 को छोड़कर) के दौरान प्रदूषण नियन्त्रण गतिविधियों पर जल उपकरण का केवल 25 प्रतिशत (₹7.31 करोड़) ही व्यय किया। साथ ही, मानवशक्ति एवं अप्रयोजित निधियों के उपलब्ध होने के बावजूद क्षेत्रीय प्रयोगशालाओं की स्थापना की प्रगति धीमी रही।

25 बालोतरा (बाडमेर), भरतपुर, चित्तौड़गढ़, किशनगढ़ (अजमेर), तथा सीकर।

## श्रम विभाग

## 3.4.2 यूनिसेफ की सहायता का लाभ नहीं उठाना

विभाग की निष्क्रियता के कारण ₹ 1.03 करोड़ की यूनिसेफ सहायता का लाभ नहीं उठाया जा सका जिससे उदयपुर के सीमान्त खण्डों में बच्चों के अवैध व्यापार उन्मूलन का यथार्थ उद्देश्य विफल रहा।

परियोजना निदेशक, बाल श्रम परियोजना समिति ने उदयपुर जिले के सीमान्त खण्डों से, गुजरात के बीटी कॉटन बीज उत्पादन खेतों में बाल मजदूरी, विशेषतया बालकों के अवैध व्यापार को खत्म करने के लिए, बाल श्रम विद्यालय की स्थापना पर ₹ 1.52 करोड़ की एक परियोजना, श्रम आयुक्त, राजस्थान, जयपुर को भेजी (जुलाई 2010)। क्योंकि श्रम विभाग के पास बजट उपलब्ध नहीं था इसलिये श्रम आयुक्त राजस्थान, जयपुर ने यह परियोजना, स्वीकृति हेतु परियोजना अधिकारी, यूनिसेफ, जयपुर को अग्रेषित की (जुलाई 2010)। तदनुसार, यूनिसेफ (राजस्थान फील्ड ऑफिस) ने एक वर्ष की अवधि के लिए परियोजना को सहायता की सहमति दी एवं अंततः एक वर्ष के लिए ₹ 1.03 करोड़<sup>26</sup> एवं तीन माह की अवधि (दिसम्बर 2010 से फरवरी 2011) के लिए ₹ 31.38 लाख अनुमोदित किया (नवम्बर 2010)। यूनिसेफ ने प्रारम्भिक राशि ₹ 11.59 लाख इस शर्त के साथ जारी की (दिसम्बर 2010) कि शेष राशि फरवरी 2011 में जारी की जायेगी तथा तीन माहों के लिए आगामी किस्त, निर्धारित प्रपत्र में प्रगति प्रतिवेदन एवं उपयोगिता के आधार पर जारी की जायेगी। परियोजना का क्रियान्वयन उदयपुर जिले में श्रम विभाग द्वारा, जिला कलेक्टर के पर्यवेक्षण एवं मार्गदर्शन में किया जाना था। परियोजना गतिविधियों में अन्य बातों के साथ, बाल श्रम से नुकसान के संबंध में जागरूकता में वृद्धि, परिवारों में सामाजिक सुरक्षा योजनाएँ एवं शिक्षा का महत्व, खण्ड एवं जिला स्तर पर बाल सुरक्षा तन्त्र का विकास, दूरस्थ गाँवों से विद्यालय तक बच्चों की पहुंच को बढ़ावा और मजदूरी से छुड़ाये गये बच्चों के पुनर्वास मानको का सृजन, शामिल था।

26. बाल श्रम के विरुद्ध सामुदायिक कार्यवाही के लिए सामाजिक गतिशीलता (₹ 31.20 लाख); बाल सुरक्षा से संबंधित क्षमता विकास प्रकरण (₹ 10.05 लाख); बाल सुरक्षा संरचना का सृजन और सुदृढीकरण (₹ 4.55 लाख); योजना के साथ परिवारों को जोड़ना (₹ 7.50 लाख); बाल श्रम से छुड़ाये गये बच्चों के पुनर्वास को समर्थन (₹ 12 लाख); दक्षता विकास मानदेय (₹ 3.30 लाख); गुणवत्ता शिक्षा की उपलब्धता में वृद्धि (₹ 3.33 लाख) तथा परियोजना प्रबंधन एवं अनुश्रवण (₹ 30.93 लाख)।

श्रम आयुक्त, राजस्थान, जयपुर के लेखों की नमूना जाँच (अप्रैल 2012) में पाया गया कि श्रम आयुक्त ने जिला कलेक्टर उदयपुर को ₹ 11.59 लाख प्रेषित (18 मार्च 2011) किये। तदुपरान्त, जिला कलेक्टर उदयपुर को उपरोक्त राशि लौटाने हेतु (अप्रैल 2011) निवेदन किया क्योंकि संभागीय संयुक्त श्रम आयुक्त, उदयपुर को, उनकी देखरेख में परियोजना क्रियान्वयन का उत्तरदायित्व सौंपा गया था। तदनुसार, जिला कलेक्टर से निधि वापस प्राप्त (अप्रैल 2011) होने पर अतिरिक्त श्रम आयुक्त द्वारा, यह राशि संभागीय संयुक्त श्रम आयुक्त, उदयपुर को उपलब्ध करवाई गयी (मई 2011)। यह दर्शाता है कि यूनिसेफ द्वारा दिसम्बर 2010 में जारी की गई ₹ 11.59 लाख की निधि, जो तीन माह अर्थात् 6 मार्च 2011 तक समायोजित की जानी थी, वास्तव में संभागीय संयुक्त श्रम आयुक्त, उदयपुर को देरी (मई 2011) से उपलब्ध कराई गई। लेखापरीक्षा में पाया गया कि विभाग द्वारा बच्चों के अवैध व्यापार के संबंध में सर्वे नहीं करवाया गया तथा बच्चों के अवैध व्यापार में कमी लाने के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किये गये। अगस्त 2011 तक, विज्ञापन एवं प्रशिक्षण पर केवल ₹ 0.50 लाख<sup>27</sup> व्यय किये गये। अनुपयोजित राशि ₹ 11.09 लाख संभागीय संयुक्त श्रम आयुक्त द्वारा लौटा दी गई (अगस्त 2011) और अगस्त 2011 से, विभाग के निजी निक्षेप खाते में पडी रही। जो यह पुष्टि करता है कि बच्चों के अवैध व्यापार की समस्या के उचित मूल्यांकन की कोई कार्य योजना नहीं बनाई गयी ताकि यूनिसेफ द्वारा दी गई सहायता का उपयोग किया जा सके।

राज्य सरकार ने बताया (सितम्बर 2012) कि कार्यक्रम का क्रियान्वयन नहीं किया जा सका क्योंकि यूनिसेफ ने ₹ 11.59 लाख का उपयोगिता प्रमाण-पत्र एवं इसके उपलब्ध करवाने के केवल डेढ माह बाद ही अनुपयोजित राशि वापस करने की मांग की। अतः शेष राशि यूनिसेफ को प्रेषित कर दी गई। उत्तर तथ्यात्मक दृष्टि से सही नहीं है क्योंकि यूनिसेफ ने, श्रम आयुक्त जयपुर को ₹ 11.59 लाख, दिसम्बर 2010 में इस शर्त के साथ उपलब्ध करवाये थे कि शेष निधि तब ही जारी की जायेगी जब सहायता का उपयोग तीन माह में अर्थात् 6 मार्च 2011 तक कर लिया जायेगा। जबकि श्रम आयुक्त, जयपुर ने राशि स्वयं के पास मार्च तक रखी तथा उसे संभागीय संयुक्त श्रम आयुक्त, उदयपुर को मई 2011 में उपलब्ध करवाई।

इस प्रकार, विभाग की निष्क्रियता के कारण यूनिसेफ से सहायता ₹ 1.03 करोड़ का लाभ नहीं उठाया जा सका जिससे उदयपुर के सीमान्त खण्डों में बच्चों के अवैध व्यापार उन्मूलन का यथार्थ उद्देश्य विफल रहा।

---

27. विज्ञापन : ₹ 0.06 लाख, प्रशिक्षण : ₹ 0.43 लाख एवं फोटो कोपी और स्टेशनरी : ₹ 0.01 लाख।

### 3.4.3 राजस्थान भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड का कार्य चालन

#### 3.4.3.1 प्रस्तावना

भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकारों के नियोजन एवं कार्य दशाओं को विनियमित करने तथा उनकी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं, स्वास्थ्य तथा कल्याणकारी उपार्यों का प्रावधान करने व जाँच करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा (अगस्त 1996) 'भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार (नियोजन एवं सेवा शर्तों का अधिनियम) अधिनियम 1996', पारित किया गया। इस अधिनियम में अन्य बातों के अलावा दी गयी शक्तियों के क्रियान्वयन हेतु 'भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड' का गठन करने का प्रावधान था। केन्द्र सरकार द्वारा (नवम्बर 1998) 'भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार (नियोजन एवं सेवा शर्त) केन्द्रीय विनियम 1998' बनाया गया।

श्रम विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा (30 अप्रैल 2009), अधिनियम की धारा 40 व 62 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 'राजस्थान भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार (नियोजन एवं सेवा शर्त) विनियम 2009' बनाये एवं अधिसूचित किए गए व अधिनियम एवं नियमों को लागू करने के लिये अधिनियम की धारा 18 के अन्तर्गत 'राजस्थान भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार बोर्ड (बोर्ड)' का गठन (27 जुलाई 2009) किया गया।

अध्यक्ष के रूप में श्रम मंत्री, प्रमुख शासन सचिव, श्रम विभाग, प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग व अधिनियम की धारा 42(2) के अन्तर्गत नामांकित मुख्य निरीक्षक सहित निर्माण नियोजकों व निर्माण श्रमिकों के प्रतिनिधि (प्रत्येक तीन) व भारत सरकार के एक प्रतिनिधि को शामिल करते हुए बोर्ड का गठन किया गया। श्रम आयुक्त को बोर्ड का सचिव और मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनाया गया एवं सचिव की सहायता हेतु एक संयुक्त श्रम आयुक्त को संयुक्त सचिव के रूप में नियुक्त किया गया।

बोर्ड द्वारा इसके वैधानिक कर्तव्यों के प्रभावी एवं पर्याप्त निर्वहन के आंकलन हेतु, बोर्ड कार्यालय जयपुर के वर्ष 2010-12 की अवधि के लेखों की लेखापरीक्षा (मई/जुलाई 2012) की गई।

#### 3.4.3.2 नियमों को तैयार करने में विलम्ब

नियमों को बनाने में लगभग नौ वर्ष का विलम्ब।

नियम तैयार करने की प्रक्रिया की जांच में यह पाया गया कि श्रम विभाग ने राज्य नियमों का पहला मसौदा वर्ष 2000 में तैयार किया जबकि नियम 2009, को अंतिम रूप देने का मामला विभिन्न विभागों के बीच वर्ष 2000-01 से 2008-09 तक, नीचे दी गई तालिका के अनुसार गतिमान रहा तथा नियमों को अन्ततः नौ वर्ष पश्चात् अप्रैल 2009 में अधिसूचित किया गया।

तालिका 1: विभिन्न विभागों द्वारा नियम 2009 तैयार करने में लिया गया समय

क्र.सं.	विभाग का नाम	लम्बित रहने की दिनांक	लम्बित अवधि	लिया गया कुल समय
1.	श्रम विभाग	1/2000 से 7/2001 8/2001 से 11/2002 4/2003 से 11/2003 5/2004 से 2/2005 10/2005 से 12/2005 6/2006 से 10/2006	1 वर्ष 7 माह 1 वर्ष 4 माह 8 माह 10 माह 3 माह 5 माह	5 वर्ष 1 माह
2.	विधि विभाग	12/2002 से 3/2003 9/2008 से 1/2009	4 माह 5 माह	9 माह
3.	वित्त विभाग	12/2003 से 4/2004 3/2005 से 9/2005 11/2006 से 8/2008	5 माह 7 माह 1 वर्ष 10 माह	2 वर्ष 10 माह
4.	मुख्य सचिव	1/2006 से 5/2006	-	5 माह
5.	विनियम अधिसूचित किया	4/2009		
		योग		9 वर्ष 1 माह

राज्य सरकार ने विलम्ब स्वीकार (अक्टूबर 2012) करते हुये कहा कि नियमों का अंतिम मसौदा श्रम, विधि और वित्त विभाग द्वारा स्वीकार किये जाने के बाद अप्रैल 2009 में अधिसूचित किया गया। तथापि, इस देरी की वजह से अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों को वर्ष 2009-10 तक लागू नहीं किया जा सका।

अधिनियम की धारा 4 के अनुसार अधिनियम के क्रियान्वयन से उत्पन्न एवं राज्य सरकार द्वारा सन्दर्भित मामलों पर सलाह देने के लिए 'राज्य भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार सलाहकार समिति (राज्य सलाहकार समिति)', का गठन किया जाना था। श्रम विभाग ने राज्य सलाहकार समिति, जिसमें श्रम आयुक्त अध्यक्ष, दो विधायक, केन्द्र सरकार द्वारा नामित एक सदस्य, मुख्य निरीक्षक, श्रम एवं नियोक्ताओं, कर्मकारों, वास्तुकार संघों, अभियन्ताओं व बीमा कम्पनियों के प्रतिनिधि (सात से 11 तक) थे, का गठन (दिसम्बर 1999) किया।

लेखापरीक्षा में दृष्टिगत हुआ कि राज्य सलाहकार समिति द्वारा न तो कोई बैठक बुलाई गई और न ही इसको कोई मामला राज्य सरकार द्वारा भेजा गया (सितम्बर 2012)। राज्य सरकार ने स्वीकार (नवम्बर 2012) किया कि राज्य के नियम जुलाई 2009 तक नहीं बनाये जाने के कारण इस संबंध में कोई मुद्दा समिति को नहीं भेजा गया और न ही समिति की कोई बैठक आयोजित की जा सकी।

तथापि यह विदित हुआ कि राज्य सलाहकार समिति की जुलाई 2009 के बाद भी कोई बैठक आयोजित नहीं की गई (नवम्बर 2012)।

### 3.4.3.3 मानव शक्ति प्रबन्धन

स्टॉफ का प्रतिनियुक्ति आधार पर अपर्याप्त पदस्थापन।

नियम 2009 के नियम 41(2) के अन्तर्गत बोर्ड, राज्य सरकार की पूर्व अनुमति से, इस अधिनियम के तहत सौंपे गये कार्यों के कुशल निर्वहन हेतु, जैसा भी उचित हो, सचिव एवं अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति कर सकता है।

- बोर्ड की स्थापना (जुलाई 2009) के दो वर्ष बीत जाने के बाद भी बोर्ड के सुचारु कार्य संचालन के लिये (मुख्य कार्यालय जयपुर), श्रम विभाग ने 11 पदों<sup>28</sup> की, श्रम विभाग से प्रतिनियुक्ति आधार पर, स्वीकृति (अक्टूबर 2011) जारी की। लेखापरीक्षा में दृष्टिगत हुआ कि केवल लेखाधिकारी का एक पद भरा गया था तथा शेष 10 पद खाली थे (31 मार्च 2012)। राज्य सरकार ने बताया (नवम्बर 2012) कि पाँच<sup>29</sup> और पद भर लिये गये हैं।
- नियम 38 (नियम 2009) के अन्तर्गत बोर्ड, अधिनियम की कल्याणकारी योजनाओं कि क्रियान्विति हेतु राज्य सरकार की अनुमति से, तहसील व जिला स्तर पर, जैसी आवश्यकता हो, कार्यालय खोलेगा। यह दृष्टिगत हुआ कि बोर्ड ने तहसील व जिला स्तर पर अपने कार्यालय खोलने के लिए कोई प्रस्ताव तैयार नहीं किये व जिला स्तर पर श्रम विभाग में कार्यरत अधिकारी ही अपने मूल कार्य के साथ-साथ बोर्ड का कार्य सम्पादित कर रहे थे। राज्य सरकार ने स्वीकार (नवम्बर 2012) किया कि तहसील व जिला स्तर पर कार्यालय तभी खोले जायेंगे जब लाभार्थियों की संख्या में पर्याप्त बढ़ोतरी होगी। सरकार का जबाब उचित प्रतीत नहीं होता क्योंकि राज्य सरकार ने आगे वर्णित अन्य अनुच्छेद 3.4.3.7 के उत्तर में बताया कि वर्ष 2012-13 में व्यापक प्रचार-प्रसार से लाभार्थियों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।
- श्रम विभाग ने जुलाई 2009 व जनवरी 2010 में अधिसूचना जारी कर, श्रम विभाग के 127 अधिकारियों/ कर्मचारियों<sup>30</sup> को उनके नियमित प्रभार के साथ-साथ बोर्ड से संबंधित पंजीकरण, निर्धारण, संग्रहण, निरीक्षण एवं अपील इत्यादि कार्य दिये। लेखापरीक्षा को दृष्टिगत हुआ (जुलाई-अगस्त

28. सहायक श्रम आयुक्त: 1, लेखाधिकारी: 1, लेखाकार: 1, श्रम निरीक्षक: 2, निजी सहायक:1, वरिष्ठ लिपिक: 1, कनिष्ठ लिपिक: 2, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी: 2 ।

29. सहायक श्रम आयुक्त: एक, 11 जून 2012 से ; लेखाकार: एक, अतिरिक्त चार्ज; श्रम निरीक्षक: दो; 25 जुलाई 2012 से ; कनिष्ठ लिपिक : दो पूर्णकालीन।

30. अतिरिक्त श्रम आयुक्त: 3; संयुक्त श्रम आयुक्त (संभागीय): 9; उप श्रम आयुक्त : 5; सहायक श्रम आयुक्त: 5; श्रम कल्याण अधिकारी: 14 व श्रम निरीक्षक: 91 ।

2012) कि इनमें से 60 पद रिक्त थे। साथ ही 13 जिलों<sup>31</sup> में श्रम निरीक्षकों के समस्त 18 पद रिक्त थे।

राज्य सरकार ने स्वीकार किया (अक्टूबर/नवम्बर 2012) कि श्रम विभाग के अधिकारियों द्वारा बोर्ड का कार्य सम्पादित किया जा रहा है, क्योंकि वित्त विभाग ने रिक्त पदों को भरने की स्वीकृति देने के बजाय इन पदों को प्रतिनियुक्ति से भरने की राय दी एवं उसी के अनुरूप कार्यवाही की जा रही है।

### बोर्ड का कार्यचालन

#### 3.4.3.4 नियोक्ताओं का पंजीकरण

दो वर्षों में (2010-12) मात्र 1192 नियोक्ताओं का ही पंजीकरण किया गया।

अधिनियम का नियम 7 निर्दिष्ट करता है कि प्रत्येक नियोजक जो किसी संस्थान का निर्माण कार्य<sup>32</sup> करवा रहा है, कार्य शुरू करने के 60 दिनों के भीतर जिले के पंजीकरण अधिकारी के पास नियोजक एवं श्रमिकों के पंजीकरण हेतु आवेदन करेगा। नियम, 2009 के नियम 17 व 19 संस्थानों/नियोक्ताओं के पंजीकरण की शर्त व विधियां निर्दिष्ट करते हैं।

- जिला श्रम कार्यालयों से प्राप्त किये गये आंकड़ों से लेखा परीक्षा को यह दृष्टिगत हुआ कि वर्ष 2010-12 में 33 जिलों में 1192<sup>33</sup> नियोक्ता ही पंजीकृत थे व 443 नियोक्ता अपंजीकृत थे (परिशिष्ट 3.3)। इस सूचना का विश्लेषण करने पर दृष्टिगत हुआ कि 31 मार्च 2012 तक जयपुर, उदयपुर और अजमेर जिलों में पंजीकृत व अपंजीकृत नियोक्ता क्रमशः 197, 83, 17 थे जबकि जयपुर विकास प्राधिकरण व नगर निगम जयपुर, उदयपुर व अजमेर द्वारा उपलब्ध कराई सूचना के अनुसार, इनके द्वारा मार्च 2012 को क्रमशः 409, 261, 35 नियोक्ताओं को<sup>34</sup> भवन निर्माण की स्वीकृतियाँ जारी की गयी थी।

- लेखापरीक्षा को यह भी दृष्टिगत हुआ कि बोर्ड ने राज्य में किये गये निर्माण कार्यों का कोई समेकित डाटाबेस नहीं बनाया है। इसके अलावा, संभागीय श्रम आयुक्त जयपुर ने, जयपुर विकास प्राधिकरण के निर्माण कार्यों के विवरण की मांग (दिसम्बर 2010 व जनवरी 2011) की थी परन्तु सूचना प्राप्त नहीं हुई। इस प्रकार श्रम कार्यालयों में उपलब्ध आंकड़ों को, जयपुर विकास प्राधिकरण नगर निगम/नगर पालिका/नगर परिषद से प्राप्त आंकड़ों से नहीं मिलाया गया था एवं नियोक्ताओं के पंजीकरण सुनिश्चित की जाने की निर्धारित प्रणाली के कार्यान्वयन के अभाव में ये आंकड़े व्यापक नहीं थे।

31. बांसवाड़ा, बालोतरा (बाड़मेर), चूरू, दौसा, इंगरपुर, धौलपुर, जालौर, जैसलमेर, झुन्झुनू, करौली, सवाईमाधोपुर, सिरोही व श्री गंगानगर।

32. ऐसे निर्माण की कुल लागत ₹ 10 लाख से ज्यादा हो।

33. सरकारी एवं अर्द्धसरकारी विभाग, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को शामिल करते हुए : 230; निजी 915 व अन्य 47 ।

34. विभाग/निकाय/व्यक्तिगत जो भवन निर्माण में श्रमिकों से कार्य करवाते हैं।

राज्य सरकार ने तथ्यों की पुष्टि करते हुए बताया (नवम्बर 2012) कि निर्माण कार्यों में लिस प्रतिष्ठानों की अत्यधिक संख्या व व्यापक प्रकृति के कारण व जन शक्ति के अभाव के कारण, सभी प्रतिष्ठानों का पंजीकरण संभव नहीं था तथापि, शहरी विकास एवं स्थानीय निकाय विभाग को अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकरण व उपकर संग्रहण सुनिश्चित करने हेतु दिशा-निर्देश जारी कर दिये हैं। उक्त तथ्य यह इंगित करता है कि नियोक्ताओं के पंजीकरण हेतु कोई तंत्र तैयार नहीं किया गया ।

बोर्ड के द्वारा  
अपंजीकृत  
नियोक्ताओं के  
विरुद्ध कोई कार्यवाही  
नहीं की गयी ।

- बोर्ड ने अधिनियम की धारा 50 के अन्तर्गत अपंजीकृत नियोक्ताओं के विरुद्ध कोई दंडात्मक कार्यवाही नहीं की जिसके कारण दोषी नियोक्ताओं से दंड की राशि व उपकर संग्रह नहीं हो सका एवं अधिनियम के अनुसार श्रमिकों को मिलने वाली सुविधाओं के प्रावधानों की अनुपालना नहीं की जा सकी। राज्य सरकार ने तथ्यों को स्वीकार (नवम्बर 2012) किया एवं बताया कि अधिनियम के अन्तर्गत दंडात्मक कार्यवाही श्रम विभाग के मुख्य निरीक्षक द्वारा की जानी है। तथ्य यह रहा कि दोषी नियोक्ताओं के विरुद्ध विभाग द्वारा कोई शास्ति आरोपित नहीं की गई।

#### 3.4.3.5 लाभार्थियों का पंजीकरण

दो वर्षों (2010-12)  
में मात्र 82,913  
लाभार्थियों का  
पंजीकरण होना।

अधिनियम की धारा 11 व 12 के प्रावधानों के अनुसार निर्माण श्रमिक जिसकी उम्र 18 से 60 वर्ष के मध्य हो तथा जो पिछले 12 माह में निर्माण कार्यों में 90 दिवस का कार्य कर चुका हो, वह लाभार्थी के रूप में पंजीयन हेतु पात्र होगा, एवं बोर्ड के कोष से लाभ पाने का हकदार होगा । यह स्पष्ट करता है कि लाभार्थी के रूप में पंजीकृत निर्माण श्रमिक ही बोर्ड की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त कर सकता है। प्रत्येक पंजीकृत श्रमिक को, संबंधित जिला श्रम अधिकारियों द्वारा, फोटोयुक्त पहचान पत्र जारी किया जाना होगा।

- नीचे दी गई तालिका में लाभार्थियों के पंजीयन के लक्ष्य व उपलब्धि का विवरण यह इंगित करता है कि वर्ष 2010-12 में 12.73 व 14.68 प्रतिशत ही लक्ष्यों की प्राप्ति हुई थी।

तालिका 2: पंजीकरण के लक्ष्य व प्राप्ति का विवरण

क्र.सं.	वर्ष	पंजीयन हेतु निर्धारित लक्ष्य	उपलब्धि	निर्धारित लक्ष्य से कम उपलब्धि	उपलब्धि का प्रतिशत
1.	2010-11	1,51,000	19,222	1,31,778	12.73
2.	2011-12	4,34,000	63,691	3,70,309	14.68
	योग	5,85,000	82,913	5,02,087	

(स्रोत: बोर्ड द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना)

• यह दृष्टिगत हुआ कि विज्ञापन/ प्रचार-प्रसार हेतु ₹ 26.50 लाख व ₹ 2.90 करोड़ का बजट प्रावधान रखा गया था जिसमें से बोर्ड ने विज्ञापन/प्रचार-प्रसार पर ₹ 0.87 लाख (0.03 प्रतिशत) वर्ष 2010-11 व ₹ 48.20 लाख (16.62 प्रतिशत) वर्ष 2011-12 में व्यय किये तथा शेष राशि बोर्ड के पास रही।

• श्रमिकों के पंजीयन हेतु प्राप्त हुए आवेदन पत्रों व उन पर की गई कार्यवाही के संबंध में बोर्ड से जानकारी मांगी गयी (जून 2012)। संयुक्त सचिव, बोर्ड ने अपने उत्तर (जुलाई 2012) में बताया कि लाभार्थियों के पंजीयन का कार्य अधीनस्थ जिला कार्यालयों द्वारा किया जाता है। यह प्रतिबिम्बित करता है कि बोर्ड स्तर पर कोई आंकड़े संधारित नहीं किये जाते हैं। जिला कार्यालयों से भी सूचना मंगवाई गई (अक्टूबर 2012) जो प्राप्त नहीं हुई। राज्य सरकार ने स्वीकार किया (नवम्बर 2012) कि मानव शक्ति के अभाव में लक्ष्य प्राप्त नहीं किये जा सके।

#### 3.4.3.6 उपकर का निर्धारण, संग्रहण और वितरण

बोर्ड के संसाधनों में अभिवृद्धि के उद्देश्य से, केन्द्र सरकार द्वारा नियोक्ताओं द्वारा करवाये गये निर्माण कार्यों की लागत मूल्य पर उपकर लगाये जाने व संग्रहण के लिये, भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम, 1996 बनाया गया (अगस्त 1996) एवं तदनुसार भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण उपकर नियम 1998 (उपकर नियम 1998) बनाये गये (मार्च 1998)।

उपकर नियम 1998 के नियम 4 व 5 के प्रावधानों के अनुसार उपकर की राशि का आरोपण एवं संग्रहण, नियोक्ता द्वारा करवाये गये निर्माण की लागत का दो प्रतिशत से अधिक एवं एक प्रतिशत से कम नहीं होगा व राज्य सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, स्थानीय निकाय और उपकर संग्रहक द्वारा संग्रहीत उपकर की राशि संग्रहण की लागत (संग्रहित उपकर की कुल राशि के एक प्रतिशत से अधिक नहीं) घटाकर बोर्ड को संग्रहण के तीस दिवस के भीतर भेजेंगे।

#### उपकर संग्रहण नहीं करना

राज्य सरकार की एजेन्सियों से ₹ 2.77 करोड़ के उपकर का संग्रहण नहीं किया जाना।

श्रम विभाग ने (जुलाई 2010) सभी सरकारी विभागों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को दिशा-निर्देश जारी किये व निर्देशित किया कि उनके अन्तर्गत कार्य कर रहे संवेदकों के निर्माण कार्य के भुगतान बिलों से, परियोजना की कुल निर्माण लागत के एक प्रतिशत की दर से, उपकर वसूल कर राज्य के राजस्व मद में जमा करें। उपकर आरोपण व संग्रहण 27 जुलाई 2009<sup>35</sup> से लागू किया गया। जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी

35. दिनांक जिससे कि बोर्ड अस्तित्व में आया।

विभाग (पीएचईडी) के 25 खण्ड (अवधि जुलाई 2009 से दिसम्बर 2011), स्थानीय निकाय विभाग के अधीन छः स्थानीय निकाय<sup>36</sup> व जल प्रबन्धन विभाग के 12 खण्डों (अवधि अगस्त 2009 से मार्च 2012) के चल/अंतिम बिलों की समीक्षा में पाया गया कि उपकर की राशि ₹ 2.04 करोड़, ₹ 0.15 करोड़ व ₹ 0.58 करोड़ (कुल ₹ 2.77 करोड़) संबंधित विभागों द्वारा, अपने अधीन कार्यरत संवेदको से वसूल नहीं की गई जो इंगित करता है कि राज्य सरकार के अभिकरणों ने भी उपकर संग्रहण हेतु अधिनियम के प्रावधानों को लागू नहीं किया।

इससे यह दृष्टिगत होता है कि राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में भी उपकर की वसूली व संग्रहण पर उचित अनुश्रवण नहीं था।

राज्य सरकार ने तथ्यों को स्वीकार कर सूचित किया (नवम्बर 2012) कि अब सभी विभागों को, अनिवार्य रूप से एक प्रतिशत की दर से उपकर वसूली हेतु, निर्देशित किया जा चुका है।

#### उपकर का निर्धारित लक्ष्य से कम संग्रहण

उपकर संग्रहण निर्धारित लक्ष्य से 30 प्रतिशत कम होना।

• बोर्ड ने 2010-11 के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किये थे तथापि, वर्ष 2011-12 के लिए उपकर संग्रहण हेतु ₹ 219 करोड़ के जिलावार लक्ष्य निर्धारित किये एवं संभागीय अधिकारियों को अवगत करवा दिये गये। इसके विरुद्ध वर्ष 2011-12 में उपकर ₹ 154.01 करोड़ (70 प्रतिशत) संग्रहीत हुआ जिसमें से ₹ 22.26 करोड़, 440 निजी व अन्य नियोक्ताओं से वसूल किया गया था। उपकर संग्रहण के लक्ष्य प्राप्त नहीं करने का मुख्य कारण बोर्ड की, नियोक्ताओं के पंजीकरण को सुनिश्चित करने एवं अपंजीकृत नियोक्ताओं के विरुद्ध उनके संस्थानों का निरीक्षण व उपकर नियम 1998 के नियम 12 व अधिनियम की धारा 50 के अन्तर्गत शास्ति लगाने की कार्यवाही करने में, विफलता रही। राज्य सरकार ने तथ्यों को स्वीकार कर सूचित किया (नवम्बर 2012) कि उपकर के कम संग्रहण का कारण सभी संस्थानों का पंजीकरण न होकर मानव शक्ति का अभाव रहा। आगे, यह कहा कि किसी भी दोषी मामले में मुख्य निरीक्षक को आवश्यक कार्यवाही करनी होती है। इस संबंध में कर निर्धारण अधिकारियों को अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत कार्यवाही करने के लिए निर्देशित किया जा चुका है। तथ्य यह रहा कि उपकर का संग्रहण निर्धारित लक्ष्य से 30 प्रतिशत कम था।

36. नगर निगम, कोटा; नगर पालिका, निम्बाहेडा; नगर परिषद, बांसवाड़ा; नगर पालिका, रानी (पाली); नगर परिषद, पाली; एवं नगर पालिका, माउन्ट आबू (सिरोही)।

### राज्य सरकार द्वारा संग्रहित उपकर की राशि का बोर्ड को स्थानान्तरण का अभाव

नियोक्ताओं से वसूल की गई उपकर की राशि ₹ 229.03 करोड़ राज्य की समेकित निधि में जमा रहना।

उपकर नियम 1998 के नियम 5(3) के अनुसार संग्रहित उपकर की राशि उसके संग्रहण से 30 दिन के अन्दर बोर्ड को स्थानान्तरित की जानी थी। लेखा परीक्षा में दृष्टिगत हुआ कि उपकर राशि ₹ 239.53 करोड़, वर्ष 2010-11 (₹ 85.52 करोड़) व 2011-12 (₹ 154.01 करोड़) के दौरान राज्य की समेकित निधि में जमा थी। वर्ष 2009-10 में उपकर की राशि संग्रहित नहीं की गई थी। उपरोक्त में से केवल ₹ 10.50 करोड़ (₹ 0.50 करोड़ जून 2010 व ₹ 10 करोड़ जुलाई 2011) ही, राज्य राजस्व मद से, राज्य सरकार द्वारा बोर्ड को स्थानान्तरित किये गये। इस प्रकार अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत ₹ 229.03 करोड़ (मार्च 2012) राज्य सरकार के पास रहे।

राज्य सरकार ने पुष्टि की (नवम्बर 2012) कि उपकर राशि का राज्य के राजस्व मद में संग्रहण व बोर्ड के निजी निक्षेप खाते में स्थानान्तरण नीतिगत निर्णय के अन्तर्गत किया जा रहा था। साथ ही यह भी सूचित किया कि शेष राशि ₹ 229.03 करोड़ बोर्ड को स्थानान्तरित की जा चुकी है।

### लाभार्थियों की अधूरी जानकारी उपलब्ध करवाना

नियोक्ता लाभार्थियों का अपूर्ण विवरण प्रस्तुत कर रहे थे।

विनियम के नियम 46(1) व (2) के अनुसार प्रत्येक नियोक्ता, इन नियमों के लागू होने के 15 दिनों के भीतर व प्रत्येक माह की 15 तारीख से पूर्व बोर्ड के सचिव, को फार्म IX व X में पंजीकरण योग्य कर्मकारों का विवरण, जिसमें वेतन, भत्ते, मुफ्त भोजन आपूर्ति पर खर्च राशि, यदि है, व कर्मकारों का विवरण जिन्होंने पिछले माह कार्य छोड़ दिया, एक समेकित विवरणी में प्रस्तुत करेगा।

भारत सरकार के अधिनियम 1996 की धारा 50 के अनुसार प्रत्येक विफलता पर ₹ 1000 तक जुर्माना लगाया जा सकता है व लगातार विफलता पर ₹ 100 प्रति दिन के हिसाब से जुर्माना लगाया जायेगा। जिला श्रम अधिकारी (डीएलओ) यह जुर्माना लगा सकेंगे।

वर्ष 2009-12 की लेखा परीक्षा के दौरान यह दृष्टिगत हुआ कि किसी भी नियोक्ता ने निर्धारित प्रपत्र में सूचना प्रस्तुत नहीं की। बोर्ड ने अनुपालना सुनिश्चित करने हेतु नोटिस जारी एवं नियोक्ताओं के विरुद्ध कार्यवाही नहीं की। इसका परिणाम श्रमिकों के आंकड़ों की अनुपलब्धता तथा लाभार्थियों का पंजीकरण व उपकर/फीस का भुगतान न होना रहा।

राज्य सरकार ने तथ्यों को स्वीकार किया (अक्टूबर/नवम्बर 2012) एवं बताया कि नियोक्ताओं द्वारा निर्धारित प्रपत्र में सूचना प्रस्तुत नहीं की गयी जिसके लिये कार्यवाही की जा रही है। राज्य सरकार ने आगे सूचित किया कि

लाभार्थियों के पंजीकरण हेतु नियोक्ताओं के कार्यालयों का निरीक्षण किया जा रहा है।

### प्रपत्र-1 में उपलब्ध करायी गई सूचना के मूल्यांकन का अभाव

नियोक्ताओं द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचनाओं का मूल्यांकन नहीं किया जाना।

उपकर नियम 1998 के नियम 6, के अनुसार प्रत्येक नियोक्ता कार्य शुरू करने या उपकर के भुगतान, जो भी मामला हो, के 30 दिन के भीतर निर्धारण अधिकारी को निर्धारित प्रपत्र में, कार्य की अनुमानित लागत व उपकर की जमा राशि सहित सूचना प्रस्तुत करेगा। उपरोक्त का नियम 7, निर्धारण अधिकारी को उक्त सूचना का आंकलन करने की शक्तियाँ प्रदान करता है।

यह दृष्टिगत हुआ कि वर्ष 2010-12 में पांच निर्धारण अधिकारियों<sup>37</sup> ने 39 निर्धारित प्रपत्र प्राप्त किये। तथापि, सम्भागीय संयुक्त श्रम आयुक्त जयपुर व कोटा ने इनमें से चार प्रपत्रों का मूल्यांकन किया एवं कम जमा की गयी उपकर राशि ₹ 32.41 लाख को निर्दिष्ट किया। जयपुर संभाग द्वारा मूल्यांकन की राशि (₹ 3.57 लाख) वसूली जा चुकी है जबकि कोटा संभाग की वसूली (₹ 28.84 लाख) किया जाना बाकी (सितम्बर 2012) है।

राज्य सरकार द्वारा तथ्यों को स्वीकार कर सूचित किया (अक्टूबर/नवम्बर 2012) गया कि इस संबंध में आवश्यक प्रयास किये जा रहे हैं और उपकर नियम 1998 के प्रावधानों को लागू करने हेतु निर्धारण अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी कर दिये हैं।

### परिसर का निरीक्षण

नियोक्ताओं के परिसर का निरीक्षण नहीं किया गया।

प्रमुख शासन सचिव, श्रम विभाग ने श्रम निरीक्षकों को निर्देश जारी किये (सितम्बर 2011) कि वे जमा उपकर/निर्माण कार्य/लाभार्थियों व नियोक्ताओं के पंजीकरण का रिकॉर्ड इत्यादि की जांच करने हेतु प्रत्येक माह नियोक्ताओं के परिसर के 20 निरीक्षण करेंगे। समीक्षा के दौरान दृष्टिगत हुआ कि श्रम निरीक्षकों द्वारा वर्ष 2011-12 में सभी जिलों (सिवाय झालावाड़, उदयपुर व चित्तौड़गढ़) में किये गये निरीक्षणों की संख्या शून्य से 18 के मध्य थी। निरीक्षणों से प्राप्त परिणाम व की गई कार्यवाही के सम्बन्ध में जिला श्रम अधिकारियों के पास कोई सूचना उपलब्ध नहीं थी।

राज्य सरकार ने तथ्यों को स्वीकार कर सूचित किया कि (अक्टूबर/नवम्बर 2012) कम निरीक्षणों का कारण श्रम निरीक्षकों का अभाव रहा तथापि, अधीनस्थ कार्यालयों को नियमानुसार निरीक्षण करने हेतु निर्देशित कर दिया गया है।

37. भीलवाड़ा: 16, बारां: 1, झालावाड़: 3, जयपुर: 3 और कोटा: 16

**पंजीकरण शुल्क राशि व अंशदान की राशि का कल्याण कोष में जमा नहीं कराया जाना**

प्राप्त पंजीकरण शुल्क राशि एवं अंशदान राशि का कल्याण कोष में जमा नहीं कराया जाना।

अधिनियम की धारा 24 के अन्तर्गत बोर्ड को 'भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण कोष' का गठन करना होगा जिसमें, बोर्ड को प्राप्त अनुदान और ऋण, लाभार्थियों का अंशदान व अन्य स्रोतों से प्राप्तियों को जमा करना होगा। इस कोष का उपयोग बोर्ड द्वारा, अधिनियम 1996 की धारा 22<sup>38</sup> के अन्तर्गत किये गये कार्यों एवं सदस्यों अधिकारियों व बोर्ड के अन्य कर्मचारियों के वेतन, भत्तों व अन्य प्रतिफल पर करना होगा। निर्माण श्रमिकों को बोर्ड की कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थी के रूप में पंजीकरण हेतु ₹ 25 जमा करवाने होंगे एवं जैसाकि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित (जून 2010) किया गया है, प्रतिमाह ₹ 5 की दर से (₹ 60 प्रतिवर्ष), सदस्यता बनाये रखने हेतु, कल्याण कोष में जमा करवाना होगा।

तदनुसार, जनवरी 2010 में श्रमिक कल्याण कोष का गठन किया गया व इसके लिए बैंक में एक खाता खोला गया।

मण्डल के सचिव ने सभी जिला श्रम अधिकारियों को विलम्ब से (जून 2011) निर्देश जारी किये कि लाभार्थियों से प्राप्त अंशदान की राशि ₹ 60 प्रति लाभार्थी, प्रति वर्ष, बोर्ड के बैंक खाते में जमा कराई जाये। तथापि, पंजीकरण की राशि को बोर्ड के खाते में जमा कराने के कोई निर्देश नहीं दिये गये।

यह दृष्टिगत हुआ कि जिला श्रम अधिकारियों ने वर्ष 2010-12 में, लाभार्थियों के पंजीकरण शुल्क, नियोक्ताओं के पंजीकरण शुल्क एवं लाभार्थियों का वार्षिक अंशदान (जून 2011 तक) राशि ₹ 3.62 करोड़<sup>39</sup> प्राप्त किये। तथापि, प्राप्तियों को कल्याण कोष में जमा कराने के बजाय, चालान द्वारा अनियमित रूप से राज्य की समेकित निधि में जमा कराया गया।

राज्य सरकार ने (अक्टूबर/नवम्बर 2012) सूचित किया कि नीतिगत निर्णय के अनुसार पंजीकरण शुल्क राज्य की समेकित निधि (मद 0230-800-05) में व लाभार्थियों के अंशदान को बोर्ड के बैंक खाते में जमा किया जा रहा है। तथापि, लाभार्थियों का अंशदान जो जून 2011 से पहले समेकित निधि में जमा था, के स्थानान्तरण हेतु की गई कार्यवाही से अवगत नहीं कराया गया।

38. दुर्घटना में सहायता, पेंशन, ऋण व अग्रिम, समूह बीमा, बच्चों की शिक्षा के लिये सहायता, चिकित्सा व्यय, प्रसूति लाभ और अन्य कल्याणकारी उपाय जैसाकि निर्धारित किया गया हो ।

39. वर्ष 2010-11 (₹ 1.59 करोड़) एवं 2011-12 (₹ 2.03 करोड़) में नियोक्ताओं एवं लाभार्थियों से प्राप्त पंजीकरण शुल्क एवं लाभार्थियों का अंशदान बजट शीर्ष 0230-800-05 के अन्तर्गत दिखाया गया ।

3.4.3.7 कल्याणकारी योजनाओं का कार्यान्वयन

योजनाओं के कार्यान्वयन में धीमी प्रगति।

विनियमों के नियम 57 व 58 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के निर्वहन में बोर्ड ने भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकारों के कल्याण हेतु 10 योजनाओं<sup>40</sup> की घोषणा (2010-12) की।

विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं हेतु जारी दिशा निर्देशानुसार, अधिनियम की धारा 11 व 12 के अन्तर्गत पंजीकृत लाभार्थी द्वारा, इन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए, जिला श्रम अधिकारी के माध्यम से या सीधे बोर्ड को, निर्धारित प्रपत्र में आवेदन करना होता है। जिला श्रम अधिकारी या बोर्ड द्वारा आवेदन की जांच कर लाभार्थी को बैंक द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

- अभिलेखों की जांच के दौरान यह दृष्टिगत हुआ कि बोर्ड ने वर्ष 2010-12 में योजनाओं के अन्तर्गत की जाने वाली सहायता पर मात्र ₹ 0.89 करोड़ व्यय किया जिसका विवरण निम्न प्रकार है:

तालिका 3: योजनाओं के अन्तर्गत उपलब्ध कराई गई सहायता का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	वर्ष	संगृहित उपकर राशि	बोर्ड द्वारा राज्य सरकार से प्राप्त राशि	योजनाओं पर किया गया वास्तविक व्यय	
				योजना का नाम	व्यय
1.	2010-11	85.52	0.50	दुर्घटना	*
				समूह बीमा (जनश्री)	0.02
				कुल	0.02
2.	2011-12	154.01	10.00	(i) प्रसूति	0.09
				(ii) शिक्षा	0.08
				(iii) विवाह	0.05
				(iv) मृत्यु/अनुग्रह	0.01
				(v) दुर्घटना	0.02
				(vi) समूह दुर्घटना (जनश्री)	0.62
				कुल	0.87
कुल		239.53	10.50		0.89

\* ₹ 0.16 लाख मात्र

स्रोत: संयुक्त सचिव, बोर्ड द्वारा प्रेषित सूचना।

40. सितम्बर 2010(2): जनश्री बीमा योजना (समूह बीमा), दुर्घटना होने पर तुरन्त सहायता; अप्रैल 2011 (2): प्रसूति सहायता योजना (मातृत्व), शिक्षा सहायता (छात्रवृत्ति); अगस्त 2011 (2): विवाह सहायता, दाह संस्कार व मृत्यु मामलों में सहायता और दिसम्बर 2011(4): गंभीर बीमारी में चिकित्सा पुनर्भरण, मकान निर्माण के लिये वित्तीय सहायता/अनुदान, मेधावी छात्रों को नकद इनाम एवं रैन बसेरा योजना।

इस प्रकार दी गई सहायता राज्य सरकार से प्राप्त राशि का 8.48 प्रतिशत व उपकर की संग्रहित राशि का 0.37 प्रतिशत रही।

शेष राशि ₹ 235.53 करोड़, बोर्ड के पास (₹ 6.50 करोड़) एवं राज्य की समेकित निधि (₹ 229.03 करोड़) में रही।

बोर्ड ने स्वीकार किया (जून 2012) कि व्यापक प्रचार-प्रसार के अभाव में ज्यादा लाभार्थियों को लाभ नहीं दिया जा सका यद्यपि किसी लाभार्थी, जिसने आवेदन किया था, को वित्तीय सहायता से वंचित नहीं रखा गया।

राज्य सरकार ने (अक्टूबर/नवम्बर 2012) कहा कि वर्ष 2011-12 व 2012-13 में व्यापक प्रचार-प्रसार के कारण 2012-13 में लाभार्थियों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, तथापि, प्राप्त हुए आवेदन की संख्या एवं उन पर की गयी कार्यवाही उपलब्ध नहीं करवायी गयी।

### *निधियों का अवरोधन*

₹ 16.50 लाख की निधि कलेक्टरों और जिला श्रम अधिकारियों के पास अवरूद्ध रही।

बोर्ड ने दुर्घटना होने पर तत्काल सहायता योजना (योजना) के दिशा-निर्देश अधिसूचित (सितम्बर 2010) किये जिसके अन्तर्गत, अन्य बातों के अतिरिक्त, निर्माण श्रमिकों की प्राकृतिक आपदा या दुर्घटना में मृत्यु/घायल होने पर तत्काल सहायता<sup>41</sup> एक सप्ताह के अन्दर जारी कर दी जायेगी। दिशा-निर्देशों की शर्त संख्या-घ (1) व (2) के अनुसार शीघ्र भुगतान सुनिश्चित करने के लिए बोर्ड, जिला कलेक्टरों, जोकि सहायता को स्वीकृत करने के लिए सक्षम प्राधिकारी हैं, को अग्रिम राशि स्थानान्तरित करेगा।

यह दृष्टिगत हुआ कि बोर्ड ने वर्ष 2010-11 के दौरान योजना को लागू करने हेतु राशि ₹ 16.50 लाख, 33 जिला कलेक्टरों (₹ 0.50 लाख प्रत्येक) को अग्रिम दिये (दिसम्बर 2010)। बोर्ड द्वारा सूचित किया गया (जून 2012) कि जिला कलेक्टरों द्वारा प्रभावित लाभार्थियों को लाभ पहुँचाने में कोई रुचि नहीं दिखाई गई इसलिए इस राशि को वापिस प्राप्त किया गया (सितम्बर 2011)। बाद में (सितम्बर/अक्टूबर 2011) बोर्ड ने यह राशि जिला श्रम अधिकारियों (डीएलओ) को स्थानान्तरित कर दी। लेखापरीक्षा को दृष्टिगत हुआ कि मात्र 14 जिला श्रम अधिकारियों ने वर्ष 2011-12 में राशि ₹ 2.25 लाख की सहायता स्वीकृत की व शेष राशि ₹ 14.25 लाख (86 प्रतिशत) जुलाई 2012 तक बिना उपयोग के पड़ी थी जोकि कल्याणकारी योजना को लागू करने वाली एजेंसियों की अरुचि प्रदर्शित करता है। इसके अलावा जिला श्रम अधिकारियों को, योजना के दिशा-निर्देशों में संशोधन किये बिना राशि अनियमित रूप से स्थानान्तरित की गई थी क्योंकि सहायता स्वीकृत करने के लिए जिला कलेक्टर ही सक्षम थे।

41. मृत्यु के मामलों में (₹ 10,000), गम्भीर चोट में (₹ 5,000) और साधारण चोट में (₹ 500 से 1,000)।

राज्य सरकार ने तथ्यों को स्वीकार करते हुए कहा (अक्टूबर 2012) कि जिला कलेक्टरों के माध्यम से योजना के क्रियान्वयन में कठिनाइयों के कारण एवं लाभार्थियों को लाभ देने में देरी से बचने के लिए जिला श्रम अधिकारियों को सहायता देने के लिए अधिकृत किया गया। तथापि, लाभार्थियों में रूचि जागृत करने के लिए किये गये प्रयासों से अवगत नहीं कराया गया था।

#### 3.4.3.8 वित्तीय प्रबन्धन

##### अधिशेष निधियों के निवेश का अभाव

अधिशेष निधियों का राष्ट्रीयकृत बैंकों में निवेश नहीं किया जाना।

राजस्थान भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार (नियोजन एवं सेवा शर्तें विनियमन 2009 के नियम 50 के अन्तर्गत कोष से संबंधित सभी निधियों को राष्ट्रीयकृत बैंक या अनुसूचित बैंक या सरकारी अनुमोदित प्रतिभूतियों में निवेश करना था। यह देखा गया कि राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2010-12 में बोर्ड को हस्तान्तरित की गई राशि ₹ 10.50 करोड़ में से 31 मार्च 2012 को, ₹ 6.50 करोड़ ब्याज रहित निजी निक्षेप खाते में, ₹ 87.37 लाख बोर्ड के बैंक बचत खाते में और ₹ 32.08 लाख बोर्ड के चालू खाते में शेष थे। तथापि, बोर्ड ने अधिशेष निधियों को निवेश करने हेतु कोई नीति तैयार नहीं की। जिसके परिणामस्वरूप ब्याज की हानि हुई जो अधिशेष निधि के निवेश पर प्राप्त की जा सकती थी।

राज्य सरकार ने सूचित किया (अक्टूबर/नवम्बर 2012) कि प्रशासनिक कार्यों और कल्याणकारी योजनाओं पर व्यय के कारण बैंक और प्रतिभूतियों में निवेश करने के लिये समुचित निधियां शेष नहीं थी तथापि, अब अधिशेष राशि को राष्ट्रीयकृत बैंक में निवेश कर दिया है। उत्तर में निवेश नीति तैयार करने हेतु कोई टिप्पणी नहीं थी।

#### 3.4.3.9 आन्तरिक नियन्त्रण

##### बोर्ड की बैठकें

बोर्ड की बैठकों में कमी।

विनियमों के नियम 30 व 35 के अन्तर्गत बोर्ड की बैठक साधारणतया दो माह में एक बार होगी। इन बैठकों में लिये गये निर्णय अध्यक्ष के हस्ताक्षर से बोर्ड की कार्य वृत्तान्त पुस्तिका में उसी बैठक में दर्ज होंगे।

बोर्ड के अभिलेखों की नमूना जाँच में पाया कि बोर्ड द्वारा दस बैठकें (2009-10: एक, 2010-11: चार, 2011-12: पाँच) आयोजित की गईं। इस प्रकार 2009-10 में तीन, 2010-11 में दो व 2011-12 में एक बैठक की कमी थी। यह भी देखा गया कि बोर्ड ने बैठकों में नियोक्ताओं/लाभार्थियों के पंजीकरण की धीमी प्रगति को उजागर किया व कल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु प्रचार-प्रसार पर जोर दिया। यह पाया गया कि यद्यपि इसकी सूचना आयुक्त श्रम विभाग (जून 2011) व प्रमुख शासन सचिव

(सितम्बर 2011) ने सभी जिला श्रम अधिकारियों को दी थी परन्तु इसका प्रभाव जमीनी स्तर पर दिखाई नहीं दिया।

सरकार ने (अक्टूबर/नवम्बर 2012) में बैठकों की कमी के तथ्य को स्वीकार कर आश्वासन दिया कि वर्ष 2012-13 में लक्ष्य प्राप्त कर लिया जायेगा।

### *अभिलेखों की आन्तरिक लेखापरीक्षा*

बोर्ड में आन्तरिक लेखापरीक्षा शाखा स्थापित नहीं की गयी।

यह देखा गया कि कोई 2009-12 के दौरान आन्तरिक लेखापरीक्षा नहीं की गई। सरकार ने तथ्यों को स्वीकार कर कहा (अक्टूबर/नवम्बर 2012) कि बोर्ड की आन्तरिक लेखापरीक्षा हेतु कोई प्रणाली/व्यवस्था नहीं हैं और न ही बोर्ड में आन्तरिक लेखा परीक्षा शाखा स्थापित की गई है क्योंकि अधिनियम और विनियमों में इसका कोई प्रावधान नहीं है।

राज्य सरकार का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि वित्तीय अनुशासन के प्रवर्तन हेतु प्रभावी आन्तरिक नियन्त्रण के साथ-साथ आन्तरिक लेखापरीक्षा स्थापित की जानी चाहिये।

### *बोर्ड के लेखे एवं लेखापरीक्षा*

बोर्ड के नियम व विनियमनों के अन्तर्गत बोर्ड के सचिव, वार्षिक लेखों को अंतिम रूप देंगे एवं प्रत्येक वर्ष की 30 जून तक प्रधान महालेखाकार (सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र लेखापरीक्षा) राजस्थान को प्रस्तुत करेंगे। इस समय सीमा के बावजूद वर्ष 2010-11 के लेखे 2 नवम्बर, 2011 को प्रस्तुत किये गये व वर्ष 2011-12 के प्रतीक्षित रहे (दिसम्बर 2012)।

### *अनुश्रवण*

सतर्कता चल प्रकोष्ठ द्वारा इसके गठन के पश्चात से किसी भी कार्यालय का निरीक्षण नहीं किया गया।

• राज्य सरकार, श्रम विभाग ने अधीनस्थ कार्यालयों की उपकर के निर्धारण और वसूली से संबंधित गतिविधियों की मौके पर निरीक्षण/निगरानी हेतु एक चल सतर्कता प्रकोष्ठ (पांच सदस्य) का, श्रम आयुक्त, दो अतिरिक्त श्रम आयुक्त, एक उप श्रम आयुक्त और एक श्रम निरीक्षक के साथ, गठन (नवम्बर 2010) किया। प्रकोष्ठ को अपनी रिपोर्ट श्रम आयुक्त को पेश करनी थी। विभाग ने सूचित किया (जुलाई 2012) कि चल प्रकोष्ठ ने गठन के बाद से किसी कार्यालय का निरीक्षण नहीं किया।

• बोर्ड के प्रभावी कामकाज व कल्याणकारी योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु निर्णायक कार्यवाही के लिए निर्धारित रिटर्न/रिपोर्ट तैयार करनी चाहिये थी। लेखापरीक्षा को दृष्टिगत हुआ कि नियम/अधिनियम के अन्तर्गत कोई रिटर्न/एमआईएस निर्धारित नहीं की गयी।

• जिला श्रम अधिकारी किसी प्रकार की एमआईएस/रिटर्न न तो तैयार कर रहे थे एवं न ही बोर्ड को भेज रहे थे। इस प्रकार जिला श्रम अधिकारियों द्वारा

उपकर के निर्धारण और वसूली का कार्य नहीं किया गया जिससे निगरानी और निरीक्षण हेतु सतर्कता प्रकोष्ठ के गठन का उद्देश्य निष्फल रहा।

सरकार ने तथ्यों को स्वीकार (अक्टूबर/नवम्बर 2012) कर कहा कि श्रम आयुक्त को सतर्कता प्रकोष्ठ को गतिशील बनाने के लिए दिशा-निर्देश जारी कर दिये गये हैं।

#### 3.4.3.10 निष्कर्ष

यद्यपि राज्य सरकार ने 'राजस्थान भवन एवं संनिर्माण कर्मकार नियम 2009' बनाये व निर्माण श्रमिकों के कल्याण हेतु 'राजस्थान भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड' को गठित किया तथापि, राज्य सरकार ने नियमों को बनाने और बोर्ड के गठन में तेरह वर्ष का समय लिया। राज्य सरकार ने बोर्ड के समुचित कार्य चालन हेतु मानव शक्ति और निधियों की उपलब्धता सुनिश्चित नहीं की, नतीजन बोर्ड अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में सफल नहीं रहा क्योंकि सभी नियोक्ताओं और भवन निर्माण श्रमिकों के पंजीकरण को सुनिश्चित नहीं किया जा सका। बोर्ड के पास उपलब्ध आंकड़ों एवं वास्तविक निर्माण कार्यों की संख्या में काफी अन्तर पाया गया। इसके अलावा, बोर्ड द्वारा विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं में शामिल लाभार्थियों की संख्या भी नगण्य थी।

#### 3.4.3.11 अनुशंषारें

- बोर्ड को, अपने संवैधानिक कर्तव्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए आवश्यक मानव शक्ति व वित्तीय संसाधन प्रदान किये जाने चाहिये।
- बोर्ड द्वारा सभी पात्र नियोक्ताओं को इस अधिनियम के दायरे में लाने के लिए प्रभावी कदम उठाये जाने चाहिये व इसके लिए निर्माण स्वीकृत करने वाली एजेन्सियों व बोर्ड के बीच उपयुक्त तन्त्र विकसित किया जाना चाहिये।
- बोर्ड द्वारा सभी पात्र लाभार्थियों को, प्रभावी सूचना, शिक्षा और संचार के माध्यम से श्रमिकों के पंजीकरण एवं निष्पादित की जा रही कल्याणकारी योजनाओं के लाभ से अवगत कराकर इस अधिनियम के दायरे में लाने के लिए प्रभावी कदम उठाये जाने चाहिये।
- बोर्ड द्वारा अधिनियम/नियमों को लागू करने के लिए प्रभावी और उचित आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली और एमआईएस लागू करना चाहिये ।

## चिकित्सा शिक्षा विभाग

### 3.4.4 केन्द्रीय निधि का अनुपयोगी रहना

भारत सरकार/राजस्थान मेडिकल रिलीफ सोसायटी से कैंसर रोगियों के इलाज के लिए परिष्कृत उपकरणों की खरीद हेतु प्राप्त की गई राशि ₹ 3.51 करोड़, उनके परिचालन की उचित योजना के अभाव में एक/दो से अधिक वर्षों तक अनुपयोगी रही।

परमाणु ऊर्जा विभाग (पऊवि), भारत सरकार ने, सरदार पटेल चिकित्सा महाविद्यालय, बीकानेर से सम्बद्ध अस्पताल, आचार्य तुलसी क्षेत्रीय कैंसर उपचार एवं अनुसंधान संस्थान (एटीआरसीटीआरआई), बीकानेर को, उनके अनुरोध (जनवरी 2010) पर कैंसर रोगियों के उपचार हेतु, एक कोबाल्ट टेलीथेरेपी मशीन-भाभाट्रोन-II (सीटी मशीन) के क्रय हेतु, राशि ₹ 1.63 करोड़<sup>42</sup> की वित्तीय सहायता स्वीकृत की (मार्च 2010)।

एटीआरसीटीआरआई, बीकानेर के अभिलेखों की नमूना जाँच (मार्च 2012) से प्रकट हुआ कि एटीआरसीटीआरआई बीकानेर ने मैसर्स पैनेसिया मेडिकल टेक्नोलोजीस प्राइवेट लिमिटेड, बेंगलूर से जुलाई 2010 में, राशि ₹ 1.81 करोड़ की लागत पर, एक सीटी मशीन क्रय की। मशीन की वारंटी अवधि स्थापन से 18 माह की थी। हालांकि मशीन उपयुक्त स्थान के अभाव में, एक वर्ष बाद जुलाई 2011 में प्रतिष्ठापित हो सकी तथापि 200 आरएमएम के कोबाल्ट विकिरण स्रोत के अभाव में मशीन अभी तक उपयोग में नहीं लायी जा सकी। लेखापरीक्षा ने पाया कि विभागाध्यक्ष, रेडियोथेरेपी विभाग, एटीआरसीटीआरआई, बीकानेर ने सरदार पटेल चिकित्सा महाविद्यालय, बीकानेर को विकिरण स्रोत के क्रय हेतु राशि ₹ एक करोड़ की मांग अक्टूबर 2011 में भेजी जो अभी भी प्रतीक्षित है।

यह ध्यान में लाने पर एटीआरसीटीआरआई ने स्वीकार किया (मार्च 2012) कि विकिरण स्रोत के लिए बजट की कमी के कारण सीटी मशीन उपयोग में नहीं लाई जा सकी।

इसी प्रकार, प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, सवाई मान सिंह (एसएमएस), चिकित्सा महाविद्यालय (प्रनि चिमवि), जयपुर के अभिलेखों की नमूना जाँच (दिसम्बर, 2011) में यह प्रकट हुआ कि पऊवि ने रेडियोथेरेपी विभाग, एसएमएस चिकित्सा महाविद्यालय, जयपुर के अनुरोध (अगस्त 2010) पर कैंसर रोगियों के उपचार के लिए, सीटी मशीन क्रय करने हेतु राशि ₹ 1.34 करोड़ की वित्तीय सहायता स्वीकृत (फरवरी 2011) की तथा राजस्थान मेडिकल रिलीफ

42. उत्पाद शुल्क एवं केन्द्रीय बिक्री कर के भुगतान के लिए ₹ 18 लाख की अतिरिक्त अनुदान भी स्वीकृत (फरवरी 2012) किया गया।

सोसायटी (आरएमआरएस) एसएमएस, जयपुर के पक्ष में निधि जारी की (मार्च 2011)। चूँकि सीटी मशीन की वास्तविक लागत ₹ 1.70 करोड़ थी, अतः विभागाध्यक्ष, रेडियोथेरेपी ने पऊवि व प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार से क्रमशः सितम्बर 2011 एवं नवम्बर 2011 में, अतिरिक्त राशि के लिए अनुरोध किया। तदनुसार, राजस्थान मेडिकल रिलीफ सोसायटी, एसएमएस, अस्पताल, जयपुर ने राशि ₹ 0.36 करोड़ स्वीकृत किये (मई 2012)।

लेखापरीक्षा ने पाया कि मशीन अब तक क्रय नहीं की गई तथा राशि अनुपयोगी पड़ी हुई है क्योंकि प्रनि चिमवि ने कोबाल्ट इकाई को संचालित करने के लिए आवश्यक 200 आरएमएम कोबाल्ट विकिरण स्रोत क्रय करने (₹ 0.90 करोड़) तथा पुरानी कोबाल्ट मशीन को हटाने (₹ 0.15 करोड़) के लिए अतिरिक्त राशि ₹ 1.05 करोड़ की पुनः मांग की है (जुलाई 2012)।

प्रनि, चिमवि ने बताया (मई, 2012) कि अस्पताल और चिमवि प्रशासन द्वारा, सीटी मशीन क्रय हेतु किसी प्रकार की वित्तीय सहायता की मांग नहीं की गई थी। यह राशि विभागाध्यक्ष, रेडियोथेरेपी के अनुशंसा/अनुरोध पर आरएमआरएस द्वारा प्राप्त की गई थी। प्रनि, चिमवि ने यह भी बताया कि वर्तमान में अस्पताल में एक सीटी मशीन, एक ब्रेकी थैरेपी मशीन एवं एक लीनियर एक्सलरेटर विद्यमान है जो कैंसर रोगियों को समुचित उपचार सुविधा उपलब्ध करवा रही है। हालांकि, अधीक्षक, एसएमएस अस्पताल ने सूचित (सितम्बर 2012) किया कि पुरानी सीटी मशीन को बदलने और विद्यमान मशीन पर अधिक कार्यभार होने, जिसकी जीवन अवधि समाप्ति के निकट है के कारण नई सीटी मशीन की आवश्यकता है।

उपर्युक्त स्थिति के बावजूद, पऊवि/आरएमआरएस से प्राप्त की गई राशि ₹ 3.51 करोड़<sup>43</sup>, जो कैंसर पीडित मरीजों के इलाज के लिए परिष्कृत उपकरण क्रय हेतु थी, उनके परिचालन की उपयुक्त योजना के अभाव में, दो वर्षों से अधिक समय से निष्क्रिय/अनुपयोगी पड़ी है। साथ ही अभिलेखों से यह भी विदित हुआ कि चूँकि भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र, सामान्यतया अग्रिम जमा करने के उपरान्त विकिरण स्रोत उपलब्ध करवाने में, दो वर्ष का समय लेता है, अतः प्राप्त उपकरण/राशि की अगले दो वर्षों में भी उपयोग में आने की संभावना नहीं है जो कि मरीजों के कल्याण की दृष्टि से घातक है।

प्रकरण सरकार को अगस्त 2012 में प्रतिवेदित किया गया, उत्तर प्रतीक्षित रहा (दिसम्बर 2012)।

43. केन्द्रीय सहायता: ₹ 3.15 करोड़: आरएमआरएस एसएमएस अस्पताल, जयपुर ₹ 0.36 करोड़।

## चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग

### 3.4.5 निधियों का अनुपयोगी पड़े रहना

कमजोर अनुश्रवण के कारण, प्राथमिक स्वास्थ्य आधारभूत संरचना को, केन्द्रीय सहायता राशि ₹ 3.18 करोड़, जो लोक निर्माण विभाग के पास जनवरी 2001 से अनुपयोगी पड़ी रही, की उपलब्धता के बावजूद सुदृढ नहीं बनाया गया।

भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक की 31 मार्च 2000 को समाप्त हुए वर्ष के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (सिविल) राजस्थान सरकार के अनुच्छेद 3.2.6.6(सी) में केन्द्रीय प्रवर्तित योजना 'परिवार कल्याण कार्यक्रम' के तहत भौगोलिक रूप से कमजोर जिलों में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं की आधारभूत संरचना को सुदृढ करने हेतु, 1994-96 के दौरान प्राप्त केन्द्रीय सहायता राशि ₹ 17.10 करोड़, के अनुपयोगी रहने तथा राशि का मार्च 1998 से अतिरिक्त निदेशक (परिवार कल्याण) के निजी निक्षेप खातों में पड़े रहने का उल्लेख किया गया था। जन लेखा समिति (जलेस), 2002-03 ने 432 निर्माण कार्यों को शीघ्र पूर्ण करने तथा बकाया 54 निर्माण कार्यों<sup>44</sup> को प्रारम्भ करने की सिफारिश (मार्च 2003) की थी। विभाग द्वारा जलेस को प्रदत्त सूचना के अनुसार 486 निर्माण कार्यों में से 51 कार्य (फेज-III: 30 तथा फेज-IV: 21) प्रारम्भ नहीं हो सके थे। जलेस ने 2005-06 में, विभाग पर शेष निर्माण कार्यों को पूर्ण करने की जिम्मेदारी डालते हुए सिफारिश की (मार्च 2006), कि निर्माण कार्यों के पूर्णता की नवीनतम प्रगति की सूचना समय-समय पर प्रधान महालेखाकार (प्रमले) को दी जाए।

निदेशक (परिवार कल्याण), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, राजस्थान, जयपुर (विभाग) के अभिलेखों की जाँच (जून 2011) में प्रकट हुआ कि 171 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में स्वीकृत (जुलाई एवं सितम्बर, 2000) 486 कार्यों में से, लोक निर्माण विभाग (लोनिवि) द्वारा केवल 446 कार्य ₹ 13.02 करोड़ की लागत (जनवरी 2001 में हस्तान्तरित राशि ₹ 17.10 करोड़ के विरुद्ध) से पूर्ण कर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को सुपुर्द किए गए। शेष 40 कार्यों में से 21 कार्य<sup>45</sup> 'पहले से विद्यमान' दर्शाये गए थे। हालांकि विभाग इन 21 कार्यों के बारे में सजग नहीं था तथा लेखापरीक्षा के पूछने पर विभाग ने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों से, उन योजनाओं की जानकारी मांगी (मई, 2012) जिनमें ये कार्य पूर्ण किए गए थे। सात जिलों के आठ प्राथमिक

44. मार्च 2003 एवं मार्च 2006 के मध्य तीन कार्यों को पूर्ण किया गया।

45. ऑपरेशन थियेटर (छः) आब्जरवेशन वाई (दो), लेबर रूम (छः), चिकित्सको (तीन) एवं एनएम (चार) हेतु क्वार्टर्स।

स्वास्थ्य केन्द्रों (प्रास्वाके) में 19 कार्य<sup>46</sup> भूमि की अनुपलब्धता/भूमि विवाद के कारण प्रारम्भ नहीं किए गये। लोनिवि अधिकारी, निदेशालय, जयपुर को प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत कर रहे थे। लेखापरीक्षा ने पाया कि रिपोर्ट (सार) में कार्यों की केवल समग्र स्थिति है तथा कार्य आदेश तिथि, कार्य की पूर्ण होने की निर्धारित तिथि तथा कार्य पूर्ण होने की वास्तविक तिथि इत्यादि का विवरण नहीं है। अव्यतीत रही राशि ₹ 4.08 करोड़ में से लोनिवि द्वारा केवल ₹ 0.90 करोड़ ही वापस लौटाई गई (दिसम्बर, 2009) तथा राशि ₹ 3.18 करोड़ लोनिवि के पास लगातार मई 2012 तक अनुपयोगी पड़ी रही।

आगे, विभाग इस बात से अनभिज्ञ था कि क्या इन प्रास्वाके को किसी अन्य योजना के तहत निर्धारित सुविधाएँ<sup>46</sup> उपलब्ध करवाई गई थी। निदेशक, (आरसीएच) मुचिस्वाअ, जयपुर ने बताया कि सूचना सम्बन्धित मुख्य चिस्वाअ से मांगी जा रही है (अगस्त, 2012)। फलस्वरूप लेखापरीक्षा यह सुनिश्चित नहीं कर सका कि क्या ये प्रास्वाके ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को अभीष्ट स्वास्थ्य देखभाल तथा चिकित्सा सेवाएँ उपलब्ध करवा पा रहे हैं।

राज्य सरकार ने बताया (अक्टूबर 2012) कि अव्यतीत रही राशि ₹ 3.18 करोड़ को लोनिवि से वसूल करने के प्रयास किये जा रहे हैं।

तथ्य यह रहा कि जलेस के समक्ष मार्च 2006 में प्रतिबद्धता व्यक्त करने के बावजूद विभाग ने 1994-96 से लम्बित कार्यों को पूर्ण करवाने तथा केन्द्रीय सहायता को उपयोग में लाने का अनुश्रवण नहीं किया। इसके फलस्वरूप सात जिलों<sup>47</sup> के आठ प्रास्वाके के ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य आधारभूत संरचना उपलब्ध नहीं करवाई जा सकी तथा राशि ₹ 3.18 करोड़, लोनिवि के पास जनवरी 2001 से अनुपयोगी पड़ी रही।

### 3.4.6 अनियमित/अधिक भुगतान

प्रस्ताव के लिए निवेदन के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही न कर विभाग ने जिकित्जा हैल्थ केयर लिमिटेड, मुम्बई को अदेय सहायता एवं लाभ पहुँचाया। आगे, विभाग, जिकित्जा हैल्थ केयर लिमिटेड, मुम्बई द्वारा दी जा रही सेवा को मापने के लिए, उचित नियामक ढांचा स्थापित करने में असफल रहा जिसके कारण आपात सेवा प्रदाता के असत्यापित दावों का भुगतान हुआ।

राज्य सरकार (चिकित्सा तथा स्वास्थ्य विभाग) ने चिकित्सीय तथा स्वास्थ्य देखभाल, विशेषकर गर्भवती महिलाओं, नवजात शिशुओं तथा बच्चों से सम्बन्धित आपातकालीन परिस्थितियों में उपलब्ध करवाने, शिशु एवं मातृ मृत्यु दर में कमी करने तथा साधारण आमजन की अन्य सभी आपात

46. ऑपरेशन थियेटर (पाँच), आब्सेरवेशन वार्ड (दो), लेबर रूम (पाँच), चिकित्सकों (दो) एवं एनएएम (पाँच) हेतु क्वाटर्स।

47. बूंदी: 1, बाड़मेर: 1 बॉसवाड़ा: 2 दौसा: 1 झालावाड़: 1 सर्वाईमाधोपुर: 1 एवं उदयपुर: 1

स्थितियों में अरक्षितता में कमी लाने के लिये 'इमरजेंसी रिस्पॉन्स सर्विसेज', जो '108 एम्बुलेन्स सेवा योजना' (योजना) के नाम से लोकप्रिय है, प्रारम्भ (सितम्बर 2008) की। ये सेवाएँ जून 2010 तक इमरजेन्सी मैनेजमेंट रिसर्च इन्स्टीट्यूट, हैदराबाद द्वारा संचालित की गयी थी। इस बीच, राज्य सरकार ने मैसर्स जिक्लिजा हैल्थ केयर लिमिटेड तथा इन्टरनेशनल सेन्टर फॉर इमरजेन्सी तकनीक, मुम्बई (जेडएचएल) के समूह को इन सेवाओं के संचालन का कार्य प्रदान (मार्च 2010) किया।

राज्य सरकार (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग) ने जेडएचएल के साथ एक अनुबन्ध निष्पादित (अप्रैल 2010) किया। अनुबन्ध के साथ जुड़े प्रस्ताव के लिए निवेदन (आरएफपी) के अनुसार, अनुबन्ध अवधि, अनुबंध हस्ताक्षर की तिथि से तीन वर्ष<sup>48</sup> थी तथा इस अवधि के दौरान जेडएचएल को ₹ 94,899 प्रति एम्बुलेन्स, प्रति माह देय था। योजना के पूर्ण अधिग्रहण के बाद, संचालन के प्रथम तीन माह में प्रतिदिन प्रति एम्बुलेन्स चार चक्कर अपेक्षित थे, जिसे तत्पश्चात, औसतन कम से कम पांच चक्कर कायम किया जाना था। यदि इस स्तर की सेवा बनाये नहीं रखी गई तो जेडएचएल के दावों से आनुपातिक कटौती की जानी थी। चूक के दूसरे प्रकरणों में कम्पनी द्वारा प्रस्तुत दावों में से जुर्माना भी वसूलनीय था।

राजस्थान स्टेट हैल्थ सोसायटी (आरएसएचएस) ने, वर्ष 2010-11 तथा 2011-12 के दौरान जेडएचएल द्वारा उपलब्ध करायी गई सेवा पर, क्रमशः ₹ 40.96 करोड़ तथा ₹ 34.25 करोड़ व्यय किए। आरएसएचएस, जयपुर के अभिलेखों की नमूना जाँच (सितम्बर 2011 से फरवरी 2012) में प्रकट हुआ कि:

(i) विभाग द्वारा निम्नांकित विवरण अनुसार, आरएफपी के विभिन्न प्रावधानों/निर्देशों का पालन नहीं किया गया:

क्र. सं.	प्रस्ताव के लिए निवेदन (आरएफपी) की प्रावधान संख्या एवं विवरण	लेखापरीक्षा निष्कर्ष
1.	पार्ट ए(3)के पैरा 2 के अनुसार जेडएचएल द्वारा प्रत्येक एम्बुलेन्स में जीपीआरएस प्रणाली स्थापित करनी थी।	386 एम्बुलेन्सों में से नवम्बर 2011 तक केवल 197 में जीपीआरएस प्रणाली स्थापित हुई थी। जीपीआरएस के अभाव में एम्बुलेन्स की स्थिति तथा जरूरतमन्द जनता तक समय पर पहुँचने (कॉल सेन्टर में कॉल प्राप्त होने के 30 मिनट के भीतर) का अनुश्रवण नहीं हो सका। साथ ही प्रति दिन प्रति एम्बुलेन्स द्वारा औसत चक्करों का सत्यापन न होने से जेडएचएल को अधिक भुगतान की सम्भावना से नकारा नहीं जा सकता।

48. दोनों पक्षों की आपसी सहमति से दो वर्षों तक बढ़ाया जा सकेगा।

क्र. सं.	प्रस्ताव के लिए निवेदन (आरएफपी) की प्रावधान संख्या एवं विवरण	लेखापरीक्षा निष्कर्ष
2.	पार्ट ए(3) के पैरा 6(4) के अनुसार रागा स्वामि/राजस्थान सरकार एम्बूलेन्स सेवाओं के लिए दिशानिर्देश तथा संचालन प्रक्रिया बनाने के उत्तरदायी थे।	रागास्वामि/राजस्थान सरकार द्वारा संचालन प्रक्रिया एवं दिशा-निर्देश अभी तक (अप्रैल 2012) बनाये जाने शेष हैं। पूर्ण रूप से लैस एम्बूलेन्स के रखरखाव तथा संचालन को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी संचालन प्रक्रिया तथा दिशा-निर्देशों का निरूपण आवश्यक था, तथापि संचालन प्रक्रिया एवं दिशा-निर्देशों के अभाव में सेवा प्रदाता पर प्रभावी नियंत्रण तथा अनुश्रवण सुनिश्चित नहीं हो सका।
3.	पार्ट ए(3) के पैरा 9 के अनुसार बैंक गारन्टी के विरुद्ध वित्तीयन का प्रावधान था जिसकी सीमा ₹ दो करोड़ थी। यह अग्रिम पश्चातवर्ती दावों से आवश्यक रूप से समायोजित किया जाना था।	मिनि, रागास्वामि द्वारा पश्चातवर्ती मासिक दावों से अग्रिम समायोजित न कर, 36 मासिक किश्तों में समायोजित करने की अनुमति देकर विभाग ने फर्म को लाभ पहुँचाया जिससे ₹ 0.20 करोड़ के ब्याज की हानि हुई।
4.	पार्ट ए(3) के पैरा 11 के अनुसार योजना के पूर्ण अधिग्रहण के बाद प्रथम तीन माह तक प्रतिदिन प्रति एम्बूलेन्स चार चक्कर किये जाने थे। इस स्तर की सेवा नहीं बनाये रखने पर दावों से आनुपातिक कटौती की जानी थी।	मिनि, रागास्वामि ने जेडएचएल द्वारा जुलाई 2010 में योजना के पूर्ण अधिग्रहण के तीन माह बाद भी शामिल <sup>49</sup> प्रत्येक नई एम्बूलेन्स को प्रतिदिन चार चक्कर की अनुमति दे दी गई। अतः जेडएचएल को अदेय लाभ दिया गया तथा अधिक भुगतान किया गया।
5.	पार्ट ए(3) के पैरा 12(अ)के अनुसार परियोजना के निष्पादन की, निदेशक तथा विभाग के सचिव द्वारा, क्रमशः मासिक व त्रैमासिक समीक्षा की जानी थी।	यह नहीं हो रहा था, परियोजना निदेशक (पीडी), रागास्वामि ने निर्णय (जुलाई 2010) लिया कि जेडएचएल द्वारा प्रदत्त मासिक सेवाएँ, सम्बन्धित मुचिस्वाअ द्वारा सत्यापित की जाएगी तथा वे इसकी एक प्रति पीडी, रागास्वामि को प्रेषित करेंगे और जेडएचएल इन्हीं रिपोर्टों के आधार पर अपने दावे प्रस्तुत करेगी। तथापि, जेडएचएल के दावों का भुगतान बिना सम्बन्धित मुचिस्वाअ से सत्यापन रिपोर्ट प्राप्त किए ही, किया गया।
6.	पार्ट ए(3) के पैरा 12(द) के अनुसार किसी बाहरी संस्था द्वारा परियोजना के निष्पादन का मूल्यांकन किया जाएगा।	निष्पादन का मूल्यांकन किसी भी बाहरी संस्था द्वारा नहीं किया (अप्रैल 2012) गया।

49. नवम्बर 2010: 25; जनवरी 2011: 25; मार्च 2011: 40; अप्रैल 2011: 11; मई 2011: 16; जून 2011: 64; जुलाई 2011: 21 एवं नवम्बर 2011: 20 ।

आगे, जुलाई 2010 से जेडएचएल द्वारा प्रस्तुत दावों का 50 से 80 प्रतिशत तक 'ऑन एकाउन्ट पेमेन्ट' किया जा रहा था जिसका जून 2012 तक निपटान नहीं हुआ था। लेखापरीक्षा ने आगे पाया कि आरएसएचएस ने जेडएचएल को, सितम्बर 2010 से अगस्त 2011 के दौरान उसके दावों में दर्शाये गुणज चक्करों<sup>50</sup> के कारण, ₹ 4.75 करोड़ का अधिक भुगतान किया। हालांकि, मिनि, राग्रास्वामि ने इस अधिक भुगतान को नवम्बर 2011 से 10 किशतों में समायोजित करने के आदेश (दिसम्बर 2011 तथा जनवरी 2012) दिये। जेडएचएल को इस अदेय लाभ से राज्य सरकार को ₹ 0.34 करोड़ के ब्याज की हानि हुई (जून 2012)।

(ii) आरएफपी के अनुसार प्रतिदिन प्रति एम्बुलेन्स पांच चक्कर की न्यूनतम औसत बनाए रखनी थी। हालांकि, चक्कर परिभाषित नहीं किये गये थे। आरएफपी के अनुसार गठित विवाद निपटान कमेटी ने महसूस किया कि मरीज/घायल व्यक्ति को लेने के स्थान से निकटतम अस्पताल पहुँचाकर वापस मूल स्थान पर आना ही एक चक्कर को इंगित करता है तथा चक्कर की परिभाषा को 'मूल स्थान से 30 किमी की दूरी एक चक्कर, 31 से 45 किमी की दूरी 1.5 चक्कर, 46 से 60 किमी की दूरी 2 चक्कर और इसी प्रकार' से संशोधित (नवम्बर 2011) किया। मरीजों को चिकित्सीय सहायता/निकटतम अस्पताल पहुँचाने हेतु की गई यात्रा को किमी के रूप में संशोधन, आरएफपी के पार्ट ए-3 के पैरा 14 के विरुद्ध है, जिसके अनुसार 'अनुबन्ध के मूल नियमों व शर्तों को संशोधित नहीं किया जा सकता'। उपरोक्त मापदण्डों का कोई आधार नहीं था, फिर भी राग्रास्वामि ने इसके लिए कोई सुधारात्मक कदम नहीं उठाया तथा दिसम्बर 2011 से लगातार इसी आधार पर दावे स्वीकार करना जारी रखा। लेखापरीक्षा ने पाया कि चक्करों की गणना के लिए इन दूरियों को अपनाने का आधार, आरएफपी के सादृश्य न्यायोचित नहीं था।

(iii) जेडएचएल द्वारा बिना सरकार को सूचित किए, सॉफ्टवेयर तथा प्रतिवेदनों के प्रारूपों में परिवर्तन किये जाने की जानकारी के बावजूद भी मिनि, राग्रास्वामि ने सरकार के वित्तीय हित को सुरक्षित रखने के लिए कोई नियामक तन्त्र लागू नहीं किया।

(iv) आरएफपी के पार्ट ए(3) के पैरा 4 के अनुसार सरकार को केवल एम्बुलेन्स के तौर पर तैयार वाहन ही उपलब्ध करवाने थे तथा अन्य खर्च, (मेडिकल/नॉन मेडिकल उपभोगीय वस्तुओं को छोड़कर) जो परियोजना को चलाने के लिए आवश्यक हों, जेडएचएल द्वारा वहन किये जाने थे। इसके विपरीत, राज्य सरकार ने सरकार द्वारा प्रदत्त स्टॉफ के वेतन पर जुलाई 2010 (₹ 0.56 करोड़) तथा अक्टूबर 2010 (₹ 0.09 करोड़) में, राशि ₹ 0.65 करोड़ का भुगतान वहन किया। लेखापरीक्षा ने पाया कि मिनि,

50. जेडएचएल द्वारा एम्बुलेन्स में ले जाये गये रोगियों की संख्या को उसके दावों के लिए दिखाई गई टिपों की संख्या के बराबर बढ़ाया गया।

रागास्वामि ने इस राशि का एक वर्ष बाद (नवम्बर 2011) एकमुश्त वसूली के बजाय किशतों<sup>51</sup> में वसूलने का निर्णय लिया, जो जेडएचएल को अदेय वित्तीय लाभ पहुँचाने वाला था।

मिनि, रागास्वामि ने बताया (अप्रैल, 2012) कि सभी एम्बूलेन्सों पर जीपीआरएस प्रणाली स्थापित कर दी गई है, स्थायी संचालन प्रक्रिया स्वीकृति के अन्तिम चरण में है, विवाद निपटान कमेटी ने चक्कर की गणना सम्बन्धी प्रकरण पर अन्तिम निर्णय ले लिया है (नवम्बर, 2011) तथा मुचिस्वाअ को मासिक अनुश्रवण प्रतिवेदन प्रेषित करने के निर्देश दे दिये गये हैं। तथ्य यह है कि विभाग ने आरएफपी के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही नहीं की तथा जेडएचएल को किए अधिक भुगतान को एकमुश्त वसूल नहीं कर उसे अदेय सहयोग तथा लाभ पहुंचाया। आगे, विभाग जेडएचएल द्वारा प्रदत्त सेवाओं को मापने के लिए उचित नियामक ढांचा स्थापित करने में असफल रहा जिसके फलस्वरूप आपात सेवाएँ प्रदाता के असत्यापित दावों का भुगतान हुआ।

प्रकरण राज्य सरकार को प्रतिवेदित (जुलाई 2012) किया गया, उत्तर प्रतीक्षित रहा (दिसम्बर 2012)।

### 3.4.7 निधियों का अनुपयोगी रहना

राज्य सरकार ₹ सात करोड़ की केन्द्रीय सहायता राशि चार वर्षों से अधिक समय तक उपयोग लेने में विफल रही जिससे वन्धीकरण लक्ष्यों की कम प्राप्ति हुई।

भारत सरकार (भास), राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम (एफडब्ल्यूपी) के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए गर्भनिरोधक सामान (लेप्रोस्कोप सहित)<sup>52</sup>, क्रय करती है तथा राज्य सरकारों को जिला अस्पतालों/स्वास्थ्य केन्द्रों को उनकी मांग के अनुसार वितरण के लिए उपलब्ध कराती है। क्योंकि राज्य सरकार ने अपने स्तर पर वर्ष 2006-07 के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (स्वापकमं), भास के निर्णीत मापदण्डों के अनुसार, 100 लेप्रोस्कोप खरीद की अपनी तत्परता दिखायी अतः भारत सरकार ने एफडब्ल्यूपी के अन्तर्गत राज्य सरकार को दिसम्बर 2006 में राशि ₹ सात करोड़ का अनुदान स्वीकृत किया।

निदेशक (परिवार कल्याण), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, जयपुर के अभिलेखों की नमूना जाँच (मई-जून 2011) में प्रकट हुआ कि लेप्रोस्कोप खरीद

51. दिसम्बर 2010 : ₹ 0.01 करोड़ ; दिसम्बर 2011 : ₹ 0.08 करोड़ एवं नवम्बर 2011 से ₹ 5.56 करोड़ की 10 किशते।

52. जन्म नियंत्रण प्रोत्साहन के लिए महिलाओं के लेप्रोस्कोपिक बन्धीकरण में काम लिया जाने वाला एक उपकरण ।

के लिए, भारत सरकार से प्राप्त केन्द्रीय अनुदान, राज्य सरकार की समेकित निधि में, दिसम्बर 2006 में जमा किया गया। तथापि, विभाग ने न तो राज्य सरकार से केन्द्रीय निधि जारी करने का अनुरोध किया और न ही 2006-08 के दौरान केन्द्रीय अनुदान को उपयोग में लेने के लिए कोई कार्ययोजना तैयार कर लेप्रोस्कोप क्रय करने की पहल की। राज्य सरकार के अनुरोध पर भारत सरकार ने स्वीकृति को इस शर्त के साथ पुनः विधि मान्य किया (अप्रैल 2008) कि 2008-09 के दौरान अर्जित किया गया ब्याज भी लेप्रोस्कोप की खरीद के काम में लिया जाए तथा अनुपयोगी रही राशि उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ लौटाई जाए।

चूँकि विभाग ने 2008-09 के दौरान केन्द्रीय अनुदान का उपयोग नहीं किया, भारत सरकार ने पुनः (फरवरी 2009 से अक्टूबर 2009 के मध्य) लेप्रोस्कोप क्रय करने के लिए तुरन्त कार्यवाही करने तथा शेष अनुपयोजित राशि लौटाने पर जोर दिया। निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, राजस्थान, जयपुर ने एफडब्ल्यूपी के अन्तर्गत जिला अस्पतालों/स्वास्थ्य केन्द्रों में बांटने के उद्देश्य से उपकरणों एवं संयंत्रों (लेप्रोस्कोप सहित) की खरीद के लिए निविदा आमंत्रित (अक्टूबर 2009) की तथा मैसर्स कार्ल स्टॉरज एंडोस्कोपी इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली से लेप्रोस्कोप खरीद हेतु एक दर संविदा तय (जून 2010) की। हालांकि, राज्य सरकार के पास निधि उपलब्ध थी फिर भी निदेशक (आरसीएच) ने निदेशक, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्रालय, भास से निधियों को पुनः विधिमान्य कर राजस्थान मेडिकेयर रिलीफ सोसायटी को स्थानान्तरित करने का अनुरोध किया (जून 2009 एवं फरवरी और दिसम्बर 2010 के मध्य ) ताकि इसका वर्ष 2010-11 में उपयोग किया जा सके, क्योंकि राज्य में उपलब्ध लेप्रोस्कोप काफी पुराने थे एवं बदलने की आवश्यकता थी जिससे रापकका पर विपरीत प्रभाव पड रहा था। खरीद में देरी पर भारत सरकार की विशेष टिप्पणी (जनवरी 2011) पर राज्य सरकार ने बताया (जनवरी, 2011) कि गत वर्ष राज्य/राष्ट्रीय स्तर पर कोई दर संविदा न होने के कारण खरीद में विलम्ब हुआ। इस पर भारत सरकार ने वर्ष 2010-11 के लिए एफडब्ल्यूपी के अन्तर्गत, राज्य को आधारभूत संरचना के रखरखाव के लिए जारी ₹ 17.96 करोड़ के अनुदान में (मार्च 2011) एफडब्ल्यूपी क्रियान्वयन हेतु लगाये गये स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के वेतन भुगतान के लिए ₹ सात करोड़ समायोजित कर दिए तथा लेप्रोस्कोप खरीद के अनुदान (₹ सात करोड़) को पुनः विधिमान्य नहीं किया।

राज्य सरकार ने बताया (अगस्त, 2012) कि दर संविदा कार्यान्वित नहीं होने, बजट शीर्ष संचालित न होने तथा निविदा प्रक्रिया पूर्ण न होने के कारण लेप्रोस्कोप नहीं खरीदे जा सके। उत्तर यह पुष्ट करता कि राज्य सरकार में, चार वर्ष से भी अधिक समय तक केन्द्रीय अनुदान का उपयोग करने में, तत्परता की कमी रही।

इस प्रकार यद्यपि राज्य सरकार ने लेप्रोस्कोप खरीद के लिए स्वयं सहमति देते हुए ₹ सात करोड़ की केन्द्रीय सहायता प्राप्त की थी तथापि वह उसके उपयोग के लिए कार्ययोजना बनाने में असफल रहा। परिणामस्वरूप, एक ओर जहाँ केन्द्रीय सहायता चार वर्ष से भी अधिक समय तक अनुपयोगी रही वहीं दूसरी ओर अस्पताल/स्वास्थ्य केन्द्र नए लेप्रोस्कोपों से वंचित रहे, जिससे 2006-11 के दौरान वन्धीकरण लक्ष्य प्राप्ति में 37 से 30 प्रतिशत<sup>53</sup> की कमी रही। साथ ही राज्य सरकार, 2010-11 के दौरान आधारभूत संरचना अनुरक्षण के लिए इस सीमा तक केन्द्रीय सहायता से वंचित रही।

### चिकित्सा एवं स्वास्थ्य तथा महिला एवं बाल विकास विभाग

#### 3.4.8 स्वास्थ्य उप केन्द्रों तथा आंगनबाड़ी केन्द्रों का निर्माण न होना/अपूर्ण रह जाना

उपस्वास्थ्य/आंगनबाड़ी केन्द्रों के समय पर निर्माण तथा सुपुर्दगी के प्रभावी अनुश्रवण में विभाग की विफलता के कारण स्वीकृत राशि ₹ 13.85 करोड़ जारी होने के बावजूद लाभार्थियों को अभीष्ट लाभ नहीं मिल सका

• राज्य सरकार, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग (विभाग) ने, आमजन स्तर पर समुदाय को प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल सेवाएँ प्रदान करने के लिए, देवनारायण योजना<sup>54</sup> के अन्तर्गत पांच जिलों<sup>55</sup> में 152 उप स्वास्थ्य केन्द्रों (उस्वाके) के निर्माण के लिए ₹ 13.68 करोड़ (₹ नौ लाख प्रति उस्वाके) स्वीकृत किए (सितम्बर 2008)। स्वीकृति आदेश में निर्दिष्ट किया गया कि उस्वाके के निर्माण के लिए कार्यकारी एजेन्सियों का निर्धारण जिला कलेक्टर द्वारा किया जायेगा तथा निर्माण कार्य वित्तीय वर्ष में ही पूर्ण किया जायेगा। तदनुसार, राज्य सरकार, वित्त विभाग ने कार्यों के निष्पादन के लिए 2009-10 से 2011-12 के दौरान सम्बन्धित जिला परिषदों (जिप), (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ (ग्राविप्र)) के निजी निक्षेप खातों में राशि ₹ 9.54 करोड़<sup>56</sup> हस्तान्तरित किये।

निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, जयपुर के अभिलेखों की नमूना जाँच (मई 2012) तथा जिला परिषदों (ग्राविप्र) से एकत्रित सूचनाओं (मई 2012)

53. विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई (जनवरी 2012) सूचना के अनुसार ।

54. दूरस्थ क्षेत्रों जैसे नदी घाटियों, वन घाटी इत्यादि में रहने वाले विशेष पिछड़े गूर्जर समुदाय के उत्तरोत्तर विकास के लिए सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता विभाग द्वारा क्रियान्वित की जा रही है।

55. अलवर: 31 ; धौलपुर : 28 ; झालावाड़ : 38; करौली : 29; सवाईमाधोपुर : 26

56. 2009-10 : ₹ 2.70 करोड़ (मार्च 2010) ; 2010-11 ₹ 2.70 करोड़ (दिसम्बर 2010) एवं 2011-12 : ₹ 4.14 करोड़ (दिसम्बर 2011)

में यह प्रकट हुआ कि 152 उस्वाके के निर्माण हेतु, वर्ष 2009-12 के दौरान हस्तान्तरित ₹ 9.54 करोड़ के विरुद्ध, अप्रैल 2012 तक केवल ₹ 1.95 करोड़ व्यय कर, सात उस्वाके<sup>57</sup> पूर्ण किए गए (सुपुर्दगी की सूचना लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं करवाई गई) तथा 69 उस्वाके<sup>58</sup> के निर्माण का कार्य प्रगति पर था। सम्बन्धित जिप के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों (मुकाअ) ने बताया कि शेष 76 उस्वाके के कार्य जमीनी विवाद (नौ), मुचिस्वाअ से पट्टा प्राप्त न होने (49) तथा कार्य प्रारम्भ न होने (18) के कारण प्रारम्भ नहीं किए जा सके। राशि ₹ 7.59 करोड़<sup>59</sup> जिला परिषदों (ग्राविप्र) के निजी निक्षेप खातों में अनुपयोगी पड़ी हुई थी।

• आंगनबाडी केन्द्र (आबाके), समेकित बाल विकास सेवाएँ (सबाविसे) योजना के तहत पूरक पोषाहार, प्रतिरक्षण, स्वास्थ्य जाँच, संदर्भ (रेफरल) सेवाएँ, शाला पूर्व शिक्षा तथा अनौपचारिक शिक्षा उपलब्ध करवाने के, प्रमुख स्थल हैं। राज्य सरकार, महिला एवं बाल विकास विभाग ने देवनारायण योजना के अन्तर्गत (2009-10 से 2010-11) तीन जिलों<sup>60</sup> में 139 आबाके के निर्माण के लिए जिला परिषदों (ग्राविप्र) को राशि ₹ 4.31 करोड़<sup>61</sup> स्वीकृत कर हस्तान्तरित किए। स्वीकृति आदेश के नियम व शर्तों के अनुसार आबाके का निर्माण कार्य प्रारम्भ होने के तीन माह में, पूर्ण किया जाना था।

उपनिदेशक, सबाविसे, अलवर के अभिलेखों की नमूना जाँच (अप्रैल 2011) तथा निदेशक, सबाविसे, सवाईमाधोपुर, करौली व जयपुर से एकत्रित सूचना (मई 2012 एवं सितम्बर 2012) से प्रकट हुआ कि 2009-11 के दौरान स्वीकृत 139 आबाके में से सितम्बर, 2012 तक, राशि ₹ 1.30 करोड़<sup>62</sup> व्यय करने के पश्चात, केवल छः आबाके<sup>63</sup> ही सुपुर्द किए गए, 14 पूर्ण आबाके<sup>64</sup> सुपुर्द नहीं किए गए तथा 48 आबाके<sup>65</sup> प्रगतिरत (सितम्बर 2012) थे। 71 आबाके<sup>66</sup> के निर्माण कार्य प्रारम्भ न होने एवं 14 पूर्ण आबाके के सुपुर्दगी में विलम्ब के कोई कारण अभिलेखों में उपलब्ध नहीं थे।

57. अलवर : एक एवं झालावाड़ : छः ।

58. अलवर : 10 ; धौलपुर : आठ ; झालावाड़ : 28 ; करौली : 16 एवं सवाईमाधोपुर : सात

59. अलवर : ₹ 1.41 करोड़ ; धौलपुर : ₹ 1.68 करोड़ ; झालावाड़ : ₹ 1.45 करोड़ ; करौली : ₹ 1.49 करोड़ एवं सवाईमाधोपुर : ₹ 1.56 करोड़

60. अलवर : 91; करौली : 26 एवं सवाईमाधोपुर : 22

61. 2009-10 : 69 आबाके (₹ 2.00 करोड़) : 2010-11 : 70 आबाके (₹ 1.99 करोड़) एवं 2010-11 : ₹ 0.32 करोड़ (मार्च 2012 में अतिरिक्त स्वीकृति)

62. 2009-10 : ₹ 0.88 करोड़ एवं 2010-11 : ₹ 0.42 करोड़

63. अलवर : पाँच (2009-10 में स्वीकृत) एवं सवाईमाधोपुर : एक (2010-11 में स्वीकृत)

64. अलवर : चार (2009-10 में स्वीकृत) एवं सवाईमाधोपुर : 10 (2010-11 में स्वीकृत)

65. अलवर : 38, करौली : सात एवं सवाईमाधोपुर : तीन

66. अलवर : 44; करौली : 19 एवं सवाईमाधोपुर : आठ

दोनों विभागों ने तथ्यों को स्वीकार करते हुए अवगत कराया (मई 2012) कि विलम्ब के कारणों को जिला परिषदों से संग्रहित करने के बाद, सूचित कर दिया जावेगा। यद्यपि, यह प्रतीक्षित (नवम्बर 2012) रहा।

राज्य सरकार ने चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं के सम्बन्ध में बताया (दिसम्बर 2012) कि शेष कार्यों को प्रारम्भ करने के लिए सम्बन्धित जिला कलेक्टरों एवं मुचिस्वाअ को आवश्यक निर्देश दे दिए गए हैं। महिला एवं बाल विकास विभाग के मामले में यह बताया गया (सितम्बर 2012) कि शेष निर्माण कार्यों को पूर्ण करने की जिम्मेदारी जिला परिषदों की है तथा विभाग आवश्यक सहायता तथा कार्यों का अनुश्रवण ही उपलब्ध कराता है।

उत्तर से यह पुष्टि होती है कि दोनों विभाग निर्माण कार्यों के प्रभावी अनुश्रवण में असफल रहे जिससे राशि ₹ 13.85 करोड़ उपलब्ध होने के बावजूद लाभार्थियों को उस्वाके/आबाके का अभिष्ट लाभ नहीं मिल सका।

### जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग

#### 3.4.9 जल प्रदाय योजना को पूर्ण करने में देरी

विभाग के अपर्याप्त आयोजन एवं क्रियान्वयन के परिणामस्वरूप न केवल शहरी जल प्रदाय योजना में ढाई वर्षों की देरी हुई बल्कि ₹ 19.15 करोड़ व्यय करने के बाद भी जल आपूर्ति पूर्व स्तर, 24 से 48 घंटों में 61 एलपीसीडी के विरुद्ध घटकर 72 से 96 घंटों में 56 एलपीसीडी रह गई। इसके अतिरिक्त, पैकेज 01 तथा 03 के कार्य देरी से आवंटित करने के परिणामस्वरूप ₹ 3.10 करोड़ की लागत बढ़ी।

राजस्थान जल प्रदाय एवं सीवरेज प्रबंधन मण्डल की तकनीकी समिति (तस) ने 'शहरी जल प्रदाय योजना (शजप्रयो) मकराना के पुनर्गठन' योजना का, ₹ 47.28 करोड़ (तीन पैकेज<sup>67</sup>: (01)- 14 नलकूपों का निर्माण); पैकेज (02)- 10 नलकूपों आदि का निर्माण); पैकेज (03)-10 नलकूपों आदि का निर्माण),

67. पैकेज (01): आपस में जोड़ने सहित 14 नलकूपों का निर्माण; 12 किमी राईजिंग पाईपलाइन (300 एमएम डक्ट आइरन); एक पम्प हाऊस; दो उच्च जलाशय जोन 2 एवं 7 के लिए ; एक स्वच्छ जलाशय ; मकराना कस्बे के जोन 1 से 5 और 7 में वितरण पाईपलाइन : (₹ 11.65 करोड़) ; पैकेज (02): दस नलकूपों का निर्माण ; दो स्वच्छ जलाशय ; दो पम्प हाऊस ; 30 किमी राईजिंग पाईप लाइन (500 एमएम डीआई के-7); दो उच्च जलाशय ; जोन 8 एवं 9 के लिए वितरण पाईपलाइन : (₹ 31.24 करोड़) और पैकेज (03) : दस नलकूपों का निर्माण ; एक उच्च जलाशय एवं जोन 6 के लिए वितरण पाईप लाइन : (₹ 4.39 करोड़)।

का तकनीकी अनुमोदन किया (अगस्त 2008)। परियोजना प्रतिवेदन के अनुसार, शजप्रयो को मकराना कस्बे के नौ संभागों के लिए, वर्ष 2041 के लिए 135 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन (एलपीसीडी) की क्षमता वाले 34 नये नलकूपों के निर्माण हेतु डिजाईन किया गया। क्योंकि शजप्रयो, मकराना में मौजूदा आपूर्ति स्तर के अनुसार, 27 नलकूपों (20 घण्टे पम्पिंग) से 7290 किलो लीटर प्रतिदिन (किलोप्र) के हिसाब से 61 एलपीसीडी, पानी उपलब्ध था जबकि मकराना कस्बे के कुछ हिस्सों में 24 से 48 घण्टों में एक बार पानी उपलब्ध करवाया जा रहा था। शजप्रयो को दिसम्बर 2010 में पूर्ण किया जाना तय था। केन्द्र एवं राज्य सरकार/शहरी स्थानीय निकाय को, 80:20 के अनुपात में, निधियों की हिस्सेदारी वहन करनी थी।

अधिशायी अभियन्ता (अअ), जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग (जस्वाअवि), मकराना खण्ड ने 14 में से चार नलकूपों का (पैकेज 01) विभागीय स्तर पर निर्माण शुरू किया (जून 2009) लेकिन पानी की अपर्याप्त आवक के कारण तीन नलकूप असफल हो गये इसलिए शेष 10 नलकूपों का स्थल आनन्दपुरा (पैकेज 02) में बदल दिया गया और पैकेज 02 को ₹ 28.33 करोड़<sup>68</sup> संशोधित कर लिया गया (जुलाई 2009)। निविदा दिसम्बर 2009 में आमन्त्रित की गई, जो जून 2010 तक बार-बार संशोधित की जाती रही और अगस्त 2010 में खोली गई। अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता (अमुअ), जस्वाअवि, सम्भाग अजमेर ने एक वर्ष से अधिक समय बाद (अक्टूबर 2010), ₹ 7.90 करोड़ (नलकूपों का विभागीय निर्माण एवं विभाग द्वारा पाईप की आपूर्ति) का, जनवरी 2012 तक कार्य पूर्ण करने की निर्धारित अवधि सहित, कार्य आदेश संवेदक 'अ' के पक्ष में जारी किया। संवेदक 'अ' ने नवम्बर 2011 में ₹ 6.27 करोड़ की लागत का कार्य (1000 मीटर वितरण, पाईप लाईन को छोड़कर) पूर्ण कर दिया। शजप्रयो (पैकेज 02) पर, विभाग द्वारा पाईप खरीद एवं नलकूपों का विभागीय निर्माण कराने पर, ₹ 19.15 करोड़<sup>69</sup> व्यय किया गया।

अधिशायी अभियन्ता (अअ) जस्वाअवि, खण्ड, मकराना के अभिलेखों की नमूना जाँच में पाया गया (अप्रैल 2012) कि भू-जल विभाग (भूजवि) की इस सिफारिश (दिसम्बर 2008) के बावजूद कि सम्भाग का पहले से ही अधिक जल दोहन हो जाने के कारण यह लम्बी अवधि की आयोजना के लिए उपयुक्त नहीं है, अअ जस्वाअवि, मकराना ने पैकेज 01 के 14 नलकूपों में से चार की खुदाई, भूजवि से करवाई जिसमें तीन नलकूप, पानी की अपर्याप्त आवक के कारण असफल रहे। इसलिए, शेष 13 नलकूपों को पैकेज 02 (दस) एवं पैकेज 03 (तीन) में स्थानान्तरित कर दिया गया। इसके कारण पैकेज 02 (अक्टूबर 2011) एवं पैकेज 01 तथा 03 (जनवरी 2012) की तकनीकी

68. अग्रेतर अक्टूबर 2011 में ₹ 26.71 करोड़ से संशोधित किया गया।

69. पैकेज 02: 20 नलकूपों का निर्माण, दो पम्प हाऊस, दो सी डब्ल्यूआर, दो ओएचएसआर, 30,400 मीटर राईजिंग पाईपलाईन और 1,933 मीटर वितरण पाईपलाईन जोड़ना-बिछाना (₹ 6.27 करोड़), पाईप की लागत, 20 नलकूपों आदि का निर्माण (₹ 12.88 करोड़)।

स्वीकृतियाँ संशोधित करनी पड़ीं जो जस्वाअवि की अनुपयुक्त आयोजना को प्रतिबिम्बित करता है। आगे, पैकेज 02 के अन्तर्गत 1000 मीटर टुकड़े में वितरण पाईप लाईन, रेलवे एवं भारत दूर संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) की स्वीकृतियों के अभाव में, नहीं बिछाई गई क्योंकि इसका संरेखण रेलवे लाईन एवं टेलीफोन लाईन से होकर गुजर रहा था। लेखापरीक्षा में पाया गया कि यद्यपि योजना का अनुमोदन अगस्त 2008 में किया गया, विभाग ने अनुमति प्राप्त करने का प्रकरण रेलवे से दिसम्बर 2009 एवं बीएसएनएल से सितम्बर 2011 में उठाया। आगे, प्रभावी कार्यवाही के अभाव में अनुमति अगस्त 2012 तक भी प्रतीक्षित थी। पैकेज 02 के अन्तर्गत, विकसित तन्त्र को पुराने/मौजूदा तन्त्र के साथ जोड़कर उपयोग में लिया जा रहा था एवं जनता को 72 से 96 घण्टों में एक बार जल आपूर्ति कर 56 एलपीसीडी का ही जल आपूर्ति स्तर बनाया जा रहा था जो पुराने तन्त्र द्वारा 24 से 48 घण्टों में की जा रही आपूर्ति (61 एलपीसीडी) से भी कम था।

आगे, विभाग ने पैकेज 01 तथा पैकेज 03 के शेष कार्यों को पैकेज 02 के साथ शुरू करने की कार्यवाही नहीं की। फलस्वरूप इन पैकेजों की लागत क्रमशः ₹ 10.49 करोड़<sup>70</sup> एवं ₹ 10.71 करोड़ संशोधित (₹ 11.65 करोड़ एवं ₹ 4.39 करोड़) की गई (जनवरी 2012)। अमुअ, जस्वाअवि, सम्भाग अजमेर ने इन पैकेजों के लिए दो संवेदकों 'ब' एवं 'स' को ₹ 11.85 करोड़ तथा ₹ 12.45 करोड़ के कार्य आदेश, जुलाई 2013 तक कार्य पूर्ण करने की तय सीमा सहित जारी किये (जुलाई 2012)। पैकेज 01 एवं 03 के कार्य लागत ₹ 21.20 करोड़ के तकनीकी अनुमोदन के विरुद्ध, ₹ 24.30 करोड़ में आवंटित (जुलाई 2012) किये जाने से चार वर्षों की देरी के कारण, राजकोष पर ₹ 3.10 करोड़ की लागत वृद्धि का अतिरिक्त भार पड़ा।

राज्य सरकार ने नलकूपों के स्थल परिवर्तन में देरी तथा निविदा प्रक्रिया में समय लगना स्वीकार किया (नवम्बर 2012) एवं बताया कि परियोजना पूर्ण होने पर पर्याप्त लाभ प्रदान करेगी। तथ्य यह रहा कि दिसम्बर 2010 में पूर्ण की जाने वाली योजना अभी भी अपूर्ण थी।

इस प्रकार, विभाग की अपर्याप्त आयोजन एवं क्रियान्वयन के परिणामस्वरूप न केवल शजप्रयो में ढाई वर्षों की देरी हुई बल्कि ₹ 19.15 करोड़ व्यय करने के बाद भी जनता को जल आपूर्ति 72 से 96 घण्टों में एक बार कर, जल आपूर्ति का स्तर 56 एलपीसीडी तक घटा जो कि पुराने तन्त्र द्वारा 24 से 48 घण्टों में की जा रही आपूर्ति (61 एलपीसीडी) से भी कम है। इसके अतिरिक्त, पैकेज 01 तथा 03 का कार्य देरी से आवंटन करने के परिणामस्वरूप ₹ 3.10 करोड़ की लागत बढ़ी।

70. पैकेज 02 में स्थानान्तरित 10 नलकूपों को छोड़कर।

### 3.4.10 निष्फल व्यय

बांसवाड़ा मल निकास योजना के निष्पादन में विभागीय आयोजना के अभाव के कारण इसे चालू नहीं किये जाने से पिछले 25 वर्षों से लाभार्थियों को मल निकास सुविधा से वंचित रहना पड़ा तथा ₹ 4.81 करोड़ का व्यय निष्फल रहा।

जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग (जस्वाअवि) के राजस्थान जल प्रदाय एवं सीवरेज प्रबंधन मण्डल (राजप्रसीप्रम) की नीति निर्धारण समिति (नीनिस) ने बांसवाड़ा मल निकास योजना (योजना) हेतु ₹ 1.02 करोड़<sup>71</sup> की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की (सितम्बर 1987)। प्रशासनिक व वित्तीय (प्रववि) स्वीकृति देते समय चूँकि प्रस्ताव में मल उपचार संयंत्र (मउसं) को शामिल नहीं किया गया था अतः नीनिस ने बताया कि मउसं योजना का अभिन्न अंग होना चाहिए जिससे कि प्रदूषण की समस्या उत्पन्न नहीं हो, अतः विभाग को मउसं के प्रस्ताव अलग से प्रस्तुत करने के निर्देश दिये। भूमि के मूल्य में वृद्धि होने के कारण नीनिस ने ₹ 2.34 करोड़ की संशोधित प्रववि स्वीकृति जारी की (फरवरी 1995) और दोहराया कि मउसं निर्माण कराने के प्रस्ताव चार माह की अवधि के अन्दर अलग से विचार के लिए प्रस्तुत किये जायें। प्रववि स्वीकृति को पुनः ₹ 2.69 करोड़ संशोधित किया गया (जनवरी 2002)।

मल निकास पाईपलाइन डालने के लिए स्वीकृत ₹ 2.69 करोड़ के विरुद्ध 18661 मीटर पाईप लाईन ₹ 2.62 करोड़ की लागत से डाली गई। इसमें से 2872.50 मीटर मल निकास पाईप लाइन अप्रैल 2000 में तथा अन्य 10922.24 मीटर मल निकास पाईप लाईन, मई 2005 में नगर पालिका, बांसवाड़ा को सुपुर्द की गई। शेष 4866.26 मीटर पाईप लाईन यद्यपि डाल दी गई थी, भूमि विवाद एवं अन्य विभिन्न कारणों से मई 2012 तक सुपुर्द/स्थानान्तरित नहीं की गई। आगे, जैसाकि अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका, बांसवाड़ा ने सूचित किया (जनवरी 2012), नगर पालिका, बांसवाड़ा को अप्रैल 2000/मई 2005 में सुपुर्द की गई पाईप लाईन क्षतिग्रस्त अवस्था में थी, तथा योजना को पाईप लाईन की मरम्मत किये बिना चालू नहीं किया जा सकता था। पाईपलाइन का कब्जा लेते समय (मई 2005) अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका, बांसवाड़ा ने मउसं के बिना इसे संधारित करने में भी असमर्थता जाहिर की थी।

लेखापरीक्षा ने पाया (अक्टूबर 2011) कि नीनिस द्वारा मउसं के प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु, सितम्बर 1987 एवं फरवरी 1995 में निर्देश दोहराने के बावजूद,

71. पाईप लाईन की आपूर्ति जोड़ने एवं बिछाने के लिए : ₹ 0.78 करोड़, भूमि अधिग्रहण : ₹ 0.05 करोड़, औजार व संयंत्र तथा सफाई खण्ड : ₹ 0.05, आकस्मिकताएँ एवं प्रोटेक्टा-प्रभार: ₹ 0.14 करोड़।

विभाग ने कोई कार्यवाही नहीं की। राजप्रसिप्रम की वित्तीय समिति (विस) ने बांसवाड़ा में 6.34 मिलियन लीटर प्रतिदिन (मिलिप्र) के मउसं के निर्माण हेतु ₹ 1.37 करोड़ की अलग से प्रववि स्वीकृति जारी की (अगस्त 2006)। इसके विरुद्ध विभाग ने बिना संशोधित प्रववि प्राप्त किये, ₹ 2.44 करोड़ का कार्य आदेश जारी कर दिया (जुलाई 2007) इसलिए विस ने निष्पादित कार्य होने के कारण, जून 2010 में ₹ 2.85 करोड़ की संशोधित प्रववि स्वीकृति जारी की (जून 2010) एवं मुअ (मु.) जनस्वाअवि जयपुर को उन अधिकारियों के उत्तरदायित्व निर्धारण करने के निर्देश दिये जिन्होंने संशोधित प्रववि स्वीकृति प्राप्ति से पहले ही सिफारिश एवं कार्य आदेश जारी किये। इस प्रकार मउसं, जिसे जून 2008 में पूर्ण करना निर्धारित किया गया था, नगरपालिका को अगस्त 2012<sup>72</sup> तक सुपुर्द नहीं किया गया। मउसं को निर्धारित समय में पूर्ण नहीं करने के कारणों का उल्लेख अभिलेखों में उपलब्ध नहीं था। अअ ने इसके लिए संवेदक द्वारा कार्य की धीमी प्रगति, बजट बाध्यता एवं ₹ 2.85 करोड़ की संशोधित स्वीकृति जारी करने में देरी को उत्तरदायी बताया (जुलाई 2012)।

राज्य सरकार द्वारा तथ्यों को स्वीकार करते हुए बताया गया (अगस्त 2012) कि मउसं का कार्य पूर्ण कर दिया गया है और आऊट फाल को मल निकास पाईपलाईन से जोड़ दिया गया है तथा शीघ्र ही नगरपालिका को सुपुर्द कर दिया जायेगा। यह भी सूचित किया कि अमुअ, जस्वाअवि सम्भाग, उदयपुर को, योजना के पूर्ण करने में एवं इसे नगरपालिका को सुपुर्द करने में देरी की जाँच करने तथा उत्तरदायित्व निर्धारित करने हेतु, जाँच अधिकारी (जुलाई 2012) नियुक्त कर दिया गया है। तथ्य यह रहा कि विभाग ने नीनिस के बार-बार निर्देशों के बावजूद भी मल निकास पाईपलाईन डालने के साथ-साथ मउसं के निर्माण हेतु प्रस्ताव शामिल नहीं किये तथा आयोजना बनाते समय योजना के क्रियान्वयन में विभिन्न घटकों का समक्रमित नहीं किया। आगे, चूँकि मउसं के निर्माण में असमान्य देरी हुई अतः योजना, मल निकास पाईपलाईन डालने के सात वर्ष बाद भी चालू नहीं हो सकी, 4866.26 मीटर मल निकास पाईप लाईन की सुपुर्दगी के अभाव एवं क्षतिग्रस्त पडीं रहने की दशा में किया गया व्यय ₹ 4.81 करोड़<sup>73</sup> निष्फल हो गया था।

72. मार्च 2012 में पूर्ण, संवेदक को ₹ 2.19 करोड़ का भुगतान किया गया एवं समयावृद्धि के अभाव में अन्तिम बिल बकाया था जैसा कि राज्य सरकार द्वारा सूचित किया गया।

73. मल निकासी पाईपलाईन डालने एवं मउसं के लिये भूमि की लागत हेतु ₹ 2.62 करोड़ ; मउसं के निर्माण के लिए संवेदक को भुगतान ₹ 2.19 करोड़।

## तकनीकी शिक्षा विभाग

### 3.4.11 सम्बद्ध महाविद्यालयों से विकास शुल्क की वसूली का अभाव

रातवि द्वारा सम्बद्ध महाविद्यालयों से बकाया विकास शुल्क के संग्रहण सम्बन्धी आन्तरिक नियंत्रण एवं अनुश्रवण का अभाव रहा जिसके परिणामस्वरूप 157 सम्बद्ध महाविद्यालयों से वर्ष 2006-07 से 2009-10 के विकास शुल्क ₹ 4.24 करोड़ की वसूली नहीं करने/विलम्ब से करने से उन्हें अदेय लाभ दिया गया।

राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा (रातवि) अप्रैल 2006 में स्थापित हुआ। रातवि की वित्त समिति ने अभियान्त्रिकी<sup>74</sup> एवं अन्य तकनीकी पाठ्यक्रमों<sup>75</sup> में प्रवेश लेने वाले, प्रत्येक छात्र से आधारभूत सुविधाओं की स्थापना एवं विकास हेतु विकास शुल्क क्रमशः ₹ 1000 एवं ₹ 500 प्रति वर्ष, वसूल करने का निर्णय लिया (अप्रैल 2007)। रातवि के प्रबन्ध मण्डल (प्रम) ने उपलिखित निर्णय को इस संशोधन के साथ अनुमोदित किया (जून 2007) कि अभियान्त्रिकी पाठ्यक्रमों के लिए विकास शुल्क, उत्तरवर्ती वर्षों हेतु ₹ 500 वसूल किया जाये। सम्बद्ध महाविद्यालयों द्वारा एकत्रित की गयी विकास शुल्क की राशि विश्वविद्यालय के खाते में जमा की जानी थी। विश्वविद्यालय की अधिसूचना (जनवरी 2009) द्वारा यह निर्देशित किया गया कि विकास शुल्क (सत्र 2006-07 से 2007-08) 14 मार्च 2009 तक जमा कर दिया जाये एवं भविष्य में प्रत्येक वर्ष, विकास शुल्क जमा कराने की अन्तिम तिथि 30 सितम्बर होगी जिसमें चूक होने पर सम्बन्धित महाविद्यालयों द्वारा विलम्ब शुल्क ₹ 5000 प्रति पाठ्यक्रम देय होगा। प्रम ने विद्यमान विकास शुल्क संरचना को वर्ष 2010-11 एवं आगे के लिये जारी रखने का निर्णय लिया (अक्टूबर 2011)।

कुल सचिव, रातवि, कोटा के वर्ष 2008-09 से 2011-12 के अभिलेखों की नमूना जाँच (अप्रैल-मई 2012) में प्रकट हुआ कि 153 सम्बद्ध महाविद्यालयों द्वारा, वर्ष 2006-07 से 2009-10 के दौरान छात्रों से वसूल की गयी विकास शुल्क राशि ₹ 7.60 करोड़, रातवि में जमा नहीं करायी गयी। सभी सम्बद्ध महाविद्यालयों के वर्ष 2010-11 एवं 2011-12 के आँकड़े रातवि के पास उपलब्ध नहीं थे। कुल सचिव, रातवि ने सूचित किया (अगस्त 2012) कि विकास शुल्क की अद्यतन स्थिति के सम्बन्ध में सम्बद्ध महाविद्यालयों से मासिक/त्रैमासिक/अर्द्धवार्षिक/वार्षिक प्रतिवेदन प्राप्त करने हेतु कोई प्रावधान नहीं है। आगे यह भी पाया गया कि रातवि द्वारा, छात्रों की कुल संख्या की महाविद्यालयवार एवं वर्षवार स्थिति, छात्रों द्वारा देय शुल्क, की गयी वसूली एवं

74. बीई, बीटेक, बीएचएमसीटी एवं बीआर्क

75. एम बीए, एमई, एमटेक एवं एमसीए

बकाया सम्बन्धी अभिलेख/रजिस्टर्स संधारित नहीं किये जा रहे थे। चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट ने भी रातवि के लेखाओं की लेखापरीक्षा के दौरान विकास शुल्क की वसूली न किये जाने का आक्षेप नहीं लिया। यह सम्बद्ध महाविद्यालयों से विकास शुल्क की वसूली के अनुश्रवण में आन्तरिक नियन्त्रण के अभाव को दर्शाता है। विस्तृत विवरण के अभाव में बकाया की शुद्धता को लेखापरीक्षा सत्यापित नहीं कर सका।

राज्य सरकार ने तथ्यों को स्वीकार करते हुए, बताया (सितम्बर एवं दिसम्बर 2012) कि लेखापरीक्षा को बकाया विकास शुल्क ₹ 7.60 करोड़ की, उपलब्ध करायी गयी सूचना अन्तरिम थी एवं इसके विरुद्ध राशि ₹ 3.60 करोड़ वसूल/समायोजित कर लिये गये हैं तथा बकाया विकास शुल्क की वसूली हेतु प्रयास किये जा रहे हैं।

इस प्रकार, सम्बद्ध महाविद्यालयों से रातवि द्वारा बकाया विकास शुल्क के संग्रहण सम्बन्धी अभिलेखों के पूर्ण न किये जाने के परिणामस्वरूप आन्तरिक नियन्त्रण एवं अनुश्रवण के अभाव में 157 सम्बद्ध महाविद्यालयों<sup>76</sup> से वर्ष 2006-07 से 2009-10 के विकास शुल्क ₹ 4.24 करोड़<sup>77</sup> (दिसम्बर 2012 तक) (विलम्ब शुल्क ₹ 0.24 करोड़ सहित) की वसूली नहीं करने/विलम्ब से करने से उन्हें अदेय लाभ दिया गया।

### सामान्य

#### 3.4.12 लेखापरीक्षा प्रेक्षकों का उत्तर देने का अभाव

लेखापरीक्षा, सुशासन के लिए प्रबंधन की सहायक है। लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर उचित सुधारात्मक कार्यवाही करने में सरकार की असफलता, अपर्याप्त अनुपालना तंत्र को इंगित करती है।

सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के नियम 327 (1) के अनुसार लेखा अभिलेखों के प्रतिधारण की अवधि लेखा परीक्षा के पश्चात एक से तीन वर्ष तक होती है। विभागीय अधिकारियों द्वारा निरीक्षण प्रतिवेदनों की अनुपालना, निर्धारित प्रतिधारण अवधि में नहीं करवा पाने से, भविष्य में उनके निस्तारण की सम्भावना, अभिलेखों की अनुपलब्धता के कारण, क्षीण हो जाती है।

76. चार महाविद्यालयों से केवल शास्ति वसूलनीय थी।

77. (₹. 7.60 करोड़ + 0.24 करोड़ विलम्ब शुल्क) - 3.60 करोड़ = 4.24 करोड़।

31 मार्च, 2012 को, वर्ष 1992-93 से 2011-12 (सितम्बर, 2011 तक) की अवधि के दौरान जारी 6056 निरीक्षण प्रतिवेदनों में सम्मिलित 20523 अनुच्छेद निपटारे हेतु बकाया थे। वर्षवार बकायों की संख्या निम्न है:

वर्ष	बकाया	
	निरीक्षण प्रतिवेदन	अनुच्छेद
2005-06 तक	1127	3099
2006-07	576	1582
2007-08	673	2203
2008-09	794	2314
2009-10	1068	3740
2010-11	1222	4765
2011-12 (सितम्बर 2011 तक)	596	2820
<b>योग</b>	<b>6056</b>	<b>20523</b>

- बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों तथा अनुच्छेदों के निपटारे के लिए राज्य सरकार ने सभी अधिकारियों को निरीक्षण प्रतिवेदनों की प्रथम अनुपालना एक माह में तथा लेखापरीक्षा के आगे के प्रेक्षणों के उत्तर एक पखवाडे में भेजने के अनुदेश जारी किए थे (अगस्त, 1969)। इन अनुदेशों की समय-समय पर पुनरावृत्ति की गई। मार्च, 2002 में जारी किए गए अनुदेशों में लेखापरीक्षा से सम्बन्धित समस्त मामलों की अनुपालना सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक प्रशासनिक विभाग में विभागीय समिति एवं नोडल अधिकारियों की नियुक्ति करना अभिप्रेरित था। नवीनतम अनुदेश जनवरी, 2010 में जारी किए गए।

- पुलिस विभाग (220) एवं आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग (138) के अन्तर्गत विभिन्न ईकाईयों को जारी 358 निरीक्षण प्रतिवेदनों के विश्लेषण में प्रकट हुआ कि 31 मार्च, 2012 को 1245 अनुच्छेद बकाया थे। निरीक्षण प्रतिवेदनों में शामिल अनियमितताओं का श्रेणीवार ब्यौरा परिशिष्ट 3.4 में दिया गया है। आगे, यह भी दृष्टिगत हुआ कि पुलिस विभाग की चार निरीक्षण प्रतिवेदनों की प्रथम अनुपालना 10 माह से 16 माह तक लम्बित थी।

वित्त विभाग ने प्रत्येक वर्ष में लेखापरीक्षा समितियों की चार बैठकें आयोजित करने के अनुदेश जारी किए (नवम्बर, 2004), किन्तु किसी भी विभाग ने वित्त विभाग के अनुदेशों की अनुपालना नहीं की एवं वर्ष 2011-12 के दौरान 11 विभागों द्वारा लेखापरीक्षा समितियों की केवल 18 बैठकें आयोजित की गई।

लेखापरीक्षा, सुशासन के लिए प्रबन्धन की सहायक है। लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर उचित सुधारात्मक कार्यवाही करने में सरकार की असफलता, अपर्याप्त अनुपालना तंत्र को इंगित करती है। सरकार को मामले पर गौर करना चाहिये एवं सुनिश्चित करना चाहिए कि, लेखापरीक्षा प्रेक्षणों का शीघ्र एवं उचित उत्तर देने, चूककर्ता कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने एवं हानि/बकाया अग्रिम/अधिक भुगतान की वसूलियों को समयबद्ध तरीके से करने हेतु, प्रक्रिया स्थापित कर दी गई है।

जयपुर,

(सुनील बाहरी)  
प्रधान महालेखाकार  
(सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र लेखापरीक्षा), राजस्थान

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली,

(विनोद राय)  
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक